भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र
(सी आई टी यू)

जनरल कौंसिल मीटिंग

महासचिव का प्रतिवेदन

चेन्नई

22-25 अप्रैल, 1998

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र

जनरल कौंसिल मीटिंग

चेन्नई 22-25 अप्रैल, 1998

महासचिव का प्रतिवेदन

प्रिय साथियों,

सीटू के कोची में सम्पन्न हुए पिछले अधिवेशन के बाद सीटू की जनरल कौंसिल मीटिंग पहली बार हो रही है। इस बीच अक्टूबर 1997 में शिमला में कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें आगे का कार्यक्रम तय किया गया।

1.2 जब हम इस बैठक की तैयारी कर रहे थे तभी हमें सीटू के उपाध्यक्ष और त्रिपुरा सरकार के शहरी विकास मंत्री का. विमल सिन्हा की त्रिपुरा में उग्रवादी ताकतों द्वारा निमर्म हत्या किये जाने का दु:खद समाचार मिला। कमलपुर में इनके पारिवारिक निवास के सामने दिनांक 31.3. 1998 को इनके भाई के साथ इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। वे कोची में सीटू के उपाध्यक्ष निर्वाचित किये गये थे। का. सिन्हा ने त्रिपुरा में सीटू के निर्माण में अहम् भूमिका निभाई।

1.3 एक वयोवृद्ध अनुभवी क्रांतिकारी तथा सी पी आइ (एम) के नेता का. ई एम एस नम्बूरिरिपाद का दिनांक 20.3.98 को निधन भारत में वामपंथी व जनवादी आंदोलन के लिए एक और क्षति है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सुप्रसिद्ध सिद्धांतकार और एक सार्थक लेखक का. ई एम एस ने भारतीय राजनैतिक पटल पर कई दशकों तक अपना असर बनाये रखा। वे सन् 1957 में अग्रणी बनकर उभरे जबकि केरल में पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ और वे इसके मुख्य मंत्री बने। उनके सादा जीवन व्यतीत करने के तरीके ने उन्हें बहुतों का प्रिय बना दिया था। उनके मूल्यवान लेखक बहुत से लोगों को आगे भी प्रेरणा देते रहेंगे। आइये उनकी भारतीय यादगार को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करें।

1.4 देश की ताजा घटनायें भारत के राजनैतिक व आर्थिक विकास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ेंगी। राष्ट्रीय एकता व अखंडता भी खतरे में पड़ जायेगी। देश में इस नई परिस्थिति की समीक्षा तथा इससे पैदा हुए हमारे तत्कालीन कर्त्तव्यों के बारे में तय करना हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बैठक की बहस व वार्तालापों का एक विशेष अभिप्राय हो जाता है।

1.5 हमारे अध्यक्ष का. ई बालानंदन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा देश के विकास पर इससे पड़ रहे विपरीत असर की विस्तार से चर्चा कर दी है। इस पृष्ठभूमि में जो आवश्यक कदम हमें उठाने चाहिए उनकी ओर भी उन्होंने इंगित किया है। अत: मैं राष्ट्रीय घटनाओं के वर्तमान संदर्भ में कुछ मुख्य बातों को ही आपके विचारार्थ व निर्णय के लिए प्रस्तुत करूंगा।

भारत में एक नई राजनैतिक स्थिति

2.1 शिमला कार्यकारिणी की बैठक के तुरंत बाद हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चे की सरकार को गिरा कर देश में एक नया उत्पात पैदा कर दिया। यह सरकार उसने राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रहे जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से लीक हुई खबर के आधार डी एम के पर संदिग्धता के बहाने गिराई। समर्थन वापस लेने की घोषणा इस रिपोर्ट के संसद में पेश होने से पहले ही कर दी गई। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सीता राम केसरी ने प्रैस में छपी खबरों के आधार पर ही समर्थन वापस ले लिया ओर स्वयं सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। शुरू शुरू में तो इन्होंने संयुक्त मोर्चे सरकार से डी एम के को अलग करने की मांग की जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

2.2 देश के समक्ष तीन पकार के गठबंधन थे- जिसमें एक कांग्रेस के नेतृत्व वाला, दूसरा भाजपा व उसके सहयोगी दल तथा तीसरा संयुक्त मोर्चा था। भाजपा ने केंद्र में किसी भी प्रकार से सत्ता हथियाने की ललक में हर प्रकार के अवसरवादी समझौते किये। इसने तमिलनाडु में ए आई डी एम के की जय ललिता जो कि

मुख्यमंत्री के रूप में भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में लिप्त है, के साथ हाथ मिलाया। पंजाब में अकालियों के साथ इसका पहले ही समझौता था तथा उड़ीसा में बीजू जनता दल, आंध्र में लक्ष्मी पार्वती की टी डी पी, बिहार में समता पार्टी, प. बंगाल में त्रृणमूल कांग्रेस तथा कर्नाटक में लोकशक्ति आदि-आदि के साथ गठबंधन किया। भाजपा ने केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए कुछ राज्यों में तो छोटा हिस्सेदार भी बनना स्वीकार कर लिया। इस सिद्धांतहीन समझौतों गठबंधनों ने भाजपा के मूल्यों पर आधारित राजनीति के दावे का खोखलापन उजागर कर दिया है।

2.3 बड़े बुर्जुआ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एक शक्तिशाली वर्ग ने चुनांनी लड़ाई में भाजपा का साथ दिया। प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में भी भाजपा की चुनावी जीत की संभावनाओं की खबरें छाप कर भाजपा को बढ़ावा दिया। प्रचार माध्यम वाजपेयी के भाषणों को प्रचारित-प्रसारित करके उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे थे।

2.4 अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा भाजपा बड़े देशी व विदेशी व्यापारिक घरानों की पूरी मदद और समर्थन के कारण वित्तीय दृष्टि से बहतर स्थिति में थी। भारी मात्रा में सड़क परिवहन संसाधनों का प्रयोग करते हुए भाजपा के चुनाव अभियान में काफी हवाई जहाज एवं हैलीकाप्टरों को भी इस्तेमाल किया गया। भाजपा की चुनावी जीत में बड़ी मात्रा में धन तथा प्रचार माध्यमों ने अपनी भूमिका निभाई और भरपूर सहयोग दिया।

2.5 कांग्रेस पार्टी अपनी गिरती मानसिकता के कारण चुनावों का सामना करने में कठिनाई महसूस कर रही थी लेकिन सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद इसने कुछ राहत महसूस की। हालांकि सोनिया गांधी भीड़ तो आकर्षित कर सकीं लेकिन वे जनता के बड़े हिस्सों से कांग्रेस के लिए समर्थन नहीं जुटा पाईं। आपसी गुटबाजी तथा भ्रष्टाचार में लिप्त उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस पार्टी चुनावों में जनता को आकर्षित नहीं कर पाई। कुछ कांग्रेसियों का टूटकर भाजपा में शामिल हो जाने के कारण इसका और भी जनाधार खिसक गया।

2.6 संयुक्त मोर्चा अपने अंदर हुए कुछ दलबदल के साथ चुनाव मैदान में उतारा। उड़ीसा में बीजू जनतादल ने अपना अलग अस्तित्व बनाकर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। बिहार में लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल का संयुक्त मोर्चे के साथ खुला झगड़ा था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह दयाव की समाजवादी का जनता दल के साथ कोई सामंजस्य नहीं बना पाई। कर्नाटक में जनतादल में फूट पड़ने के कारण रामकृष्ण हेगड़े की लोकशक्ति को मजबूती मिली जिसने कि भाजपा के साथ हाथ मिला लिए। तमिलनाडु में डी एम के/टी एम सी गठबंधन सी पी आइ (एम) के साथ सीटों के तालमेल के लिए भी राजी नहीं हुआ। जनता दल ने कर्नाटक में सी पी आइ (एम) को कोई भी सीट नहीं दी। संयुक्त मोर्चे सरकार द्वारा जारी रखी गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों तथा इसके विनाशकारी परिणामों के कारण जनता इससे कटती चली गई। संयुक्त मोर्चा चुनावों में जनता को अपनी ओर प्रेरित नहीं कर पाया तथा भाजपा व कांग्रेस को परास्त करने का वातावरण पैदा नहीं कर सका।

2.7 चुनावी परिणामों ने भाजपा की ताकत में जबर्दस्त बढ़ोतरी, कांग्रेस की शक्ति में वृद्धि दर्ज कराई जबकि जनता दल की ताकत में ज़बर्दस्त कमी को दर्शाया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में राज्य की दोनों शासक पार्टियों टी डी पी और डी एम के/टी एम सी गठबंधन को जबर्दस्त धक्का लगा तथा आंध्र में कांग्रेस व तमिलनाडु में ए आई ए डी एम के को फायदा हुआ। कुल मिलाकर, वाममोर्चा सीटों व वोट दोनों ही मायने में कमजोर हुआ। वाम मोर्चा द्वारा शासित राज्य प. बंगाल, केरल व त्रिपुरा को अतिरिक्त सभी राज्यों में सत्ता पक्ष विरोधी वातावरण था। राजस्थान तथा महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को भारी नुकसान हुआ। हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी चुनाव हार गई।

2.8 भारतीय राजनीतिक हलचल में भाजपा का एक प्रमुख दल के रूप में उभर कर आना कोई साधारण खतरे का संकेत नहीं है क्योंकि भाजपा इसकी आर एस एस पृष्ठभूमि होने के कारण इसे दूसरी बुर्जुआ पार्टियों के समान नहीं माना जा सकता है। भाजपा ने समर्थन जुटाने के लिए संसद सदस्यों को खरीदने के लिए हर तरह का भ्रष्ट तरीका अपनाया तथा उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये। संसद सदस्यों को अपनी ओर खींचने के लिए खुले तौर पर मंत्रीपद का लोभ दिया गया तथा पैसा पानी की तरह बहाया गया। एक दल जिसका केवल एक ही सांसद चुनकर आया था उसे भी कैबीनेट मंत्री पद भेंट किया गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने संसद में खुले तौर पर कहा कि उन्हें भाजपा ने भारी मात्रा में धन तथा गृहमंत्री का पद देने का प्रस्ताव दिया था। संयुक्त मोर्चा के कुछ घटक दलों ने भी कुछ आश्वासन पाकर भाजपा सरकार का समर्थन करने के लिए ढुलमुलपन दिखाना शुरू कर दिया था। संयुक्त मोर्चे को उस संय भारी धक्का लगा जब टी डी पी ने अपने कुछ सांसदों के दबाव में निष्पक्ष रहने का ढुलमुल रवैया अपनाया।

2.9 भाजपा हिमाचल प्रदेश में सुख राम के साथ भी हाथ मिलाने भी हद तक चली गई। इस उच्चकोटि के अवसरवाद को उस कम में देखा जाना चाहिए कि इसी भाजपा ने गत दिनों टेलीकाम घोटाला जिसमें सुखराम का मुख्य हाथ था, पर 13 दिन तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी थी। भाजपा ने कल्पनाथराय से भी हाथ मिलाया सो कि 250 करोड़ रुपये के चीनी घोटाले का मुख्य अपराधी है। हवाला कांड में लिप्त बूटा सिंह को भी भाजपा की

ऐसी टोली में शामिल करने के लिए तैयार कर लिया गया। इस सबसे भाजपा के स्थायित्व के दावे जिसका कि बड़ी धूमधाम से प्रचार किया गया था, की कहानी साफ हो जाती है।

2.10 सारांश में कहें तो भाजपा ने वे तमाम गुप्तवे घृणित तरीके अपनाये जोकि सत्ता में रहने के लिए पहले कांग्रेस पार्टी अपनाती रही है। संसद के अंदर विश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए अपनाये गये भाजपा द्वारा तरीके नरसिम्हा राव की तकनीक को भी पीछे छोड़ गये। भाजपा सरकारों द्वारा अपनायी जा रही पतित मूल्यों वाली राजनीति के देश में संसदीय लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है और भाजपा अब 'मूल्यों पर आधारित राजनीति' की बात भी करने का अधिकार खो चुकी है। श्री प्रमोद महाजन ने तो खुल्लम खुला यह तक कह दिया कि आज के राजनीतिक माहौल में नीति और आचरण व्यर्थ की बात है।

2.11 वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार के गठन में उस समय एक नाटकीय मोड़ आया जब जय ललिता ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने सम्बंधी पत्र देने में देर कर दी। खुले तौर पर उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और भाजपा नेताओं की काफी देर तक व्याकुलता के बाद ही समर्थन दिया। आखिरकार एक गुप्त समझौते के बाद ही मुद्दा अस्थाई तौर पर हल हुआ।

2.12 किन्तु, जब ए आई ए डी एम के के परिवहन मंत्री के इस्तीफे के बाद मामला फिर उभर कर ऊपर आ गया। भाजपा सरकार के गठन के 20 दिनों के अन्दर ही एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में पद छोड़ना पड़ा। बूटा सिंह जो कि जे एम एस भ्रष्टाचार के केस में पहले ही शामिल थे, को वाजपेयी सरकार से हटाने की मांग भी उठाई गई है। भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे सुब्रहमण्यम स्वामी तकरीबन रोजाना वाजपेयी सरकार के मंत्रियों की आलोचना करते रहते हैं। देश में एक सरकार जो कि स्थायित्व के नाम पर सत्ता में आई है सबसे अधिक अस्थाई साबित हो रही है।

2.13 लेकिन, एक बार इस पार्टी के सत्ता में आने के बाद इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए क्योंकि पर्दे के पीछे से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ घिनौना खेल खेलने की ताक में बैठी है। इसके प्रशासन तंत्र, फौज व इसी तरह के अन्य संस्थानों तथा मीडिया में घुसपैठ के कारण सरकार के कुछ समय गिरने के पश्चात् भी खतरनाक परिणाम होंगे। देश में निहित स्वार्थी तत्वों का एक कॉकस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ नजदीकी रिश्ते बना चुका है और यह अपने स्वार्थवश भाजपा को सत्ता में रखना चाहता है। भूस्वामी वर्ग के बड़े हिस्से द्वारा भाजपा की नीतियों के समर्थन करने के साथ-साथ भारतीय बड़े बुर्जुआओं के एक ताकतवर हिस्से को भी निष्ठा अब भाजपा की तरफ हो गई है।

2.14 राष्ट्रीय एजंडा, जिसे भाजपा ने बड़ी धूमधाम से प्रसारित किया है, संदिग्ध वायदों का बंडलमात्र है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मजदूर वर्ग के लिए इसमें कोई प्रस्ताव नहीं है। ट्रेड यूनियनों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता देने की बात जो भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में थी उसको भी इस राष्ट्रीय एजंडा में शामिल नहीं किया गया है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को ठीक करने के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि राष्ट्रीय एजेंडा में रोजगार बढ़ाने की बात की गयी है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि विश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए रोजगार के अवसर किस तरह पैदा होंगे। स्वेदेशी की बड़ी-बड़ी बातें करने वाली भाजपा ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का स्वागत कर स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये स्वदेशी नारे का सही अर्थ समझ लिया है और इसीलिए इसके राष्ट्रीय एजंडा का स्वागत किया है। राष्ट्रीय एजेंडा भूमि सुधार के बारे में कुछ नहीं बोलता है और ग्रामीण भूमि संबंधों में सामंती बर्चस्व की वकालत करता है।

2.15 हालांकि राष्ट्रीय एजेंडा में संविधान से धारा 370 को समाप्त करने, अयोध्या में विवादास्पद भूमि पर राम मंदिर का निर्माण करने व सभी धर्मों के लिए समान नागरिक कानून का उल्लेख नहीं हैं लेकिन यह भाजपा की असली मन्सा को छिपाने के लिए एक छलावा मात्र है। भाजपा इन एजंडे को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों के माध्यम से लागू करेगी और देश में एक ऐसा माहौल पैदा करेगी जो ऐसे मुद्दे गिरोह बंदी द्वारा हल हो सकते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय एजेंडा देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, भारतीय बड़े व्यापारिक घरानों व ग्रामीण धनवानों का हित साधक तथा आम जनता की जीवनयापन की स्थिति को और अधिक बिगाड़ने वाला पूरी तरह से एक प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम हैं।

2.16 संविधान आयोग की नियुक्ति के नाम पर राष्ट्रीय एजंडा भाजपा के "गुप्त एजेंडा" को आगे बढ़ाने के लिए संविधान को और अधिक प्रतिक्रियावादी बनाने की कोशिश करता है।

2.17 जहां हमारे देश में एक तरफ गरीबी लगातार बढ़ रही है, देश के अधिकांश लोगों के पास उसके जिंदा रहने के लिए बुनियादी चीजें भी नहीं है राष्ट्रीय एजंडा परमाणु विकल्प खुला रखने पर जोर दे रहा है जो कि एटम बम बनाने की धमकी भी है। यह सब देश की जनता का ध्यान गलत दिशा में मोड़ने की साजिश है। राष्ट्रीय धर्मान्धता बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय एजेंडा उपमहाद्वीप में अशांति पैदा कर जनता का ध्यान आर्थिक मुद्दों से हटाना चाहता है।

2.18 कई मंत्रियों सहित भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा भाषण और व्यक्तियों, जिनमें तमिलनाडु, बिहार की सरकारों की बर्खास्तगी तथा प. बंगाल सरकार के कामकाज में दखलदांजी करने बारे में कहा गया है, द्वारा सत्ताधारी पक्ष में धारा 356 का दुरुपयोग कर

जनवादी तरीके के चुनी ई सरकारों को बर्खास्त करने की तीव्र इच्छा का पता चलता है। यह एक वास्तविकता है कि आज महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा खराब है। शिव सेना के गुंडे, खुल्लम खुल्ला प्रत्येक नियोक्ता से 'बचाव धन' वसूल रहे हैं। हत्या के भय दिखाकर लोगों से जबरन फ्लेट्स खाली करा लिये जाते हैं। गुंडों के गुटों में आपसी झगड़े में लोग मारे जा रहे हैं जिसमें शिव सेना प्रत्यक्ष रूप से शामिल है और राज्य प्रशासन भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है। इस सबके बावजूद केंद्र सरकार चुप है और अपने प्रवक्ताओं व मंत्रियों को तमिलनाडु, बिहार व अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों की बर्खास्तगी सम्बन्धी वक्ताओं की आज्ञा दे रही है। यह सब देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए ही एक गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। वर्तमान अटोर्नी जनरल धारा 356 में गुप्त रूप से फेर बदल करने का संकेत पहले ही दे चुके हैं।

2.19 महाराष्ट्र में हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में श्रीकृष्ण रिपोर्ट के प्रकाशन अधिक देर किये जाने के कारण राज्य की जनता के दिमाग में कुछ संदेह पैदा हुए। यह विदित है कि भाजपा-शिवसेना सरकार ने इस आयोग को समाप्त करने की पूरी कोशिश की लेकिन जनता की प्रतिक्रिया व संसद द्वारा व्यवधान के कारण आयोग को अपना कार्य जारी रखने दिया गया।

2.20 महाराष्ट्र की सरकार इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में टालमटोल की चाल चलकर इस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही और महाराष्ट्र में वामपंथी एवं जनवादी आंदोलन द्वारा इसके शीघ्र प्रकाशन की मांग एकदम सही है। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका देशव्यापी संबंध है इसलिए हमें इस रिपोर्ट के शीघ्र प्रकाशन की मांग उठानी चाहिए। यह रिपोर्ट सांप्रदायिक शक्तियों की विभाजनकारी नीति व इनके देश से बाहर के संबंधों के विषय में पर्दाफाश कर सकती है।

2.21 साम्राज्यवादी शक्तियों देश के अंदर कट्टरपंथी और विघटनकारी शक्तियों को खुल्लमखुल्ला उत्साहित कर रही है। भाजपा सरकार इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं और संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर इसकी इजाजत दी जाती है तो इससे देश में अधिनायकवादी शासन हो जायेगा जोकि भारत के लोकतन्त्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा।

2.22 इसलिए यह आवश्यक है कि भाजपा सरकार की आर्थिक व राजनैतिक नीतियों को उजागर किया जाय और इन नीतियों के खिलाफ संघर्षों में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाय।

2.23 देश के मजदूरवर्ग को इस खतरनाक घटनाक्रम के अर्थ को समझना चाहिए और हमें देश के मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता को इस तरह की घटनाओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। अत: सीटू को मजदूर वर्ग के अन्दर यह अभियान चलाना होगा कि वर्तमान केंद्र सरकार अन्य बुर्जुआ सरकारों की तरह ही नहीं बल्कि यह सरकार अपने खतरनाक इरादों को छुपाये हुए है जोकि देश के जनतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। भाजपा सरकार ने एक भिन्न किस्म का प्रसार भारती बिल प्रस्तुत करके अपने घिनौने मंसूबे दिखाने शुरू कर दिये हैं, इस बिल के जरिये वह प्रचार माध्यमों में अपने विचारों की घुसपैठ करेगी। प्रचार के इलैक्ट्रानिक माध्यमों को भाजपा अपने सांप्रदायिक प्रचार को फैलाने लिए भाजपा मुखपत्र के रूप में प्रयोग करेगी। विभिन्न संदिग्ध साधनों के जरिये पिछड़े व अप्रगतिशील विचारों का प्रचारित किया जायेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में रद्दोबदल कर भाजपा की हां में हां मिलाने वाले लोगों को पदस्थापित किया गया है और धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों को बाहर फेंक दिया गया है। देश की सांस्कृतिक प्रगति के लिए ये खतरनाक संकेत है।

2.24 हमारा मजदूर वर्ग भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों सांप्रदायिकता व कट्टरपंथ का सही अर्थ नहीं समझता है। इसलिए मजदूरवर्ग को इन मुद्दों पर वैचारिक शिक्षा की जरूरत है ताकि वे स्थिति की गंभीरता को महसूस कर सकें। तभी वे संघर्षों व आंदोलनों में ज्यादा से ज्यादा तादाद में भाग ले सकेंगे। यही वक्त की पुकार है।

अर्थ व्यवस्था में भारी गिरावट

3.1 भारत में लगभग पिछले सात वर्ष से लागू किये जा रहे ढांचागत सुधार कार्यक्रम के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का मुकाबला कर रही है और देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारी गिरावट की ओर बढ़ रहा है। 'एसकॉन' द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 1997 से इन ग्यारह महीनों में अर्थव्यवस्था के 49 क्षेत्रों में से 33 में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह मंदी मुख्य रूप से आटोमोबाल्स, निर्माण, उपभोक्ता, इलैक्ट्रानिक्स और स्टील जैसे क्षेत्रों में पायी गयी है। 'एसकॉन' ने यह संभावना व्यक्त की है कि यह मंदी का दौर कुछ और समय तक चलेगा और कि कुछ उद्योगों में तो यह नकारात्मक रूप से बढ़ेगा। मशीनी औजार, डायमंड टूल, पम्प, मिश्रित धातु स्टील, कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप और रसायन जैसे उद्योग इससे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के वर्तमान संकट, जोकि विश्व बैंक और अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष के दिशा निर्देशों पर चलने के कारण पैदा हुआ है, का हल नहीं होता है तो धुंधली तस्वीर और भी खराब हो जायेगी।

3.2 हालांकि कुछ अर्थ शास्त्री यह कहकर कि यह मंदी

अल्पकालीन ही है, एक अच्छी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे, लेकिन मिल रहे संकेतों से पता चलता है कि यह मंदी काफी लम्बे समय तक चलने वाली है क्योंकि इस मंदी का दौर विश्व स्तर पर चल रहा है।

3.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात के मामले में भी निर्धारित बिंदुओं से काफी नीचे ही कार्य कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का वर्तमान भुगतान संतुलन घाटा लगभग 12.5 विलियन (रु. 50,000 करोड़) है। जैसाकि रिजर्व बैंक ने इंगित किया है कि देश के बहुत से आयातक व निर्यातक भुगतान बिलों की धांधलियों में लिप्त होने के कारण विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भाग देश से बाहर पलायन कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक और एन्फोर्स भेंट डायरेक्टोरेट द्वारा विदेशी विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने में असफलता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है और वह भी ऐसे समय जबकि देश के विकास के लिए देश के वित्तीय संसाधनों की भारी कमी है। रुपये की कीमत दिन पर दिन गिरती जा रही है और यह डर है कि यह गिरावट जारी रहेगी फलस्वरूप देश में आयात और महंगे हो जायेंगे।

3.4 रुपये 10,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा आज एक गंभीर समस्या है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने जब बड़े व्यापार घरानों को और सुविधायें देने की घोषणा की तो उन्होंने संसद को आश्वासन दिया था कि करों की दरें कम करने से करों की चोरी नहीं होगी और कर भुगतान करने की भावना बढ़ेगी। लेकिन सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व में गिरावट ने उनके आंकलन को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। हाल ही में एक और गंभीर मुद्दा महसूस किया गया कि चुंगी दर में भारी कटौती के कारण देशी उद्योगों पर गंभीर संकट आ गया। चुंगी दर में कटौती के रुपये 3000 करोड़ उत्पाद शुल्क बढ़ाकर पूरे करने थे। इससे भारतीय उद्योगों को कठिनाइयां हुई और उन्होंने निजी उत्पादन को कम कर विदेशी माल के लिए रास्ता साफ किया। कुछ विदेशी कंपनियां अपने इलैक्ट्रानिक और टेलीकाम के सामान को भारतीय माल की अपेक्षा काफी कम दाम (कच्चे माल की कीमत से भी कम) में भेजना शुरू कर दिया जिसके कारण ये गंभीर समस्या में फंस गये और भारतीय सरकार देशी उद्योगी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लूट से बचाने पूरी तरह असफल रही है।

3.5 विदेशी माल को सस्ते दाम मे बेचे जाने के विषय में भारतीय कानून उलझे हुए हैं जिसके अन्तर्गत किसी भारतीय शिकायतकर्ता को किसी माल की 'डम्पिंग' को स्वयं ही सिद्ध करना पड़ता है जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। हम पाते हैं कि जर्मनी और कुछ योरुप के देशों ने सस्ते दाम पर बेचे जाने वाले भारतीय माल पर कर लगाये हैं अथवा अमरीका ने बाल-मजदूरी को बहाना बनाकर कुछ भारतीय सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी है। लेकिन, भारत सरकार ने बहुत सी विदेशी कंपनियों के माल की बिक्री के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाये हैं जबकि वे देशी कंपनियों को बाजार से बाहर धकेलने में लगी हैं।

3.6 भारत में कृषि में नकारात्मक वृद्धि से स्थिति और खराब होगी। भूमि सुधार न किये जाने और फालतू जमीन को भूमिहीनों न बांटे जाने के कारण कृषि उत्पादन में गंभीर झटका लगेगा। इस झटके का एक कारण मनमर्जी मौसम प्रकृति परं आश्रित रहना भी है। कृषि उत्पाद में गिरावट का निर्यातों पर भी असर पड़ेगा। न सरकार द्वारा कृषि उत्पाद को बढ़ाने की तरफ कोई सकारात्मक कदम न उठाये जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट गहराता जा रहा है।

इन आर्थिक नीतियों के कारण भूमिहीन किसान तथा खेतिहर मजदूरों को काफी तकलीफें हुई हैं। इनके जीवन स्तर में काफी गिरावट आई है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हुई आत्महत्या की घटनाओं ने देश को हिला दिया है। अभी हाल में कुछ आत्महत्या की घटनायें महाराश्ट्र में भी हुई है। उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों की दशा देश में बदतर हो गई है। कुछ सांकेतिक राहत के कदमों तथा सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा मौखिक हमदर्दी से इन हालातों में कोई सुधार नहीं आया है।

3.7 औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती बीमारी के कारण आर्थिक स्थिति और भी खराब हुई है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बीमार इकाईयों को स्वस्थ करने की पूरी तरह नकारात्मक रवैये और 'निकास नीति' को अनौपचारिक रूप से लागू किये जाने के कारण भी उत्पादन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। कुछ उद्योगों में तो उत्पादन क्षमता का अनुपयोगी चेतावनी के बिंदु तक जा पहुंचा है। इस अनुपयोगी क्षमता को बढ़ाने में उसी क्षेत्र में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा भी जिम्मेदार है। इसके कारण राष्ट्रीय संसाधनों का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ ही चला गया जिसको कि निवेश के योजनाबद्ध कार्यक्रम द्वारा अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जा सकता था।

3.8 केंद्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर लगातार भारी हमला जारी है। विनिवेश आयोग की सात रिपोर्टों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए कायक्रम तैयार कर लिया गया है। इसने अपनी निर्धारित सीमाओं से बाहर जाकर कुछ इकाइयों तो बेचने तक की सिफारिशें की हैं। यह जानते हुए भी कि सेल का आधुनिकीकरण करना विचाराधीन है और किसी भी दुष्परिणाम की चिंता किये बगैर इसने सेल से 'इस्को' को निजी हाथों में बेच देने के लिए कहा है। अगर इस आयोग को इसकी गतिविधियां जारी रखने की इजाजत दी जाती है तो यह सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों को बेच देगा। भारत में विश्व बैंक समर्थक गुट यह विचार कर रही है कि यहां निजीकरण की गति काफी धीमी है और इसने यह

प्रस्तावित किया है कि विनिवेश आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र को निजी इकाइयों को बेचने के लिए वैधानिक शक्तियें दे दी जानी चाहिए, इन निजी इकाइयों में से बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में जाने वाली हैं। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने विनिवेश आयोग की कुछ शक्तियों पर रोक लगाई थी लेकिन भाजपा सरकार उन तमाम वादियों को हटाकर इस आयोग से छिनी शक्तियों को फिर से बहाल करते हुए और अधिक शक्तियां दे रही है जिससे निजीकरण की प्रक्रिया और तेज होने वाली है । विनिवेश आयोग ठीक ठाक चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेचेगा जबकि वी आई एफ आर बीमार इकाइयों को बंद कर उन्हें निजी हाथों के हवाले कर देगा। इन दोनों के मंसूबे सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम संस्थानों को समाप्त करने के हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन को विनिवेश आयोग को रद्द करने के लिए संघर्ष करने चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र व्यवसाय को वी आइ एफ आर के शिकंजे से बाहर निकालना चाहिए तभी सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र का काफी भाग पहले ही खोया जा चुका है और बाकी बचे हिस्से को खंडित होने से बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को खासतौर पर व ट्रेड यूनियन आंदोलन को आमतौर पर संयुक्त आंदोलन करने होंगे।

3.9 ढांचागत सुधार कार्यक्रम अब एक स्थिति में आकर कुछ देर के लिए रुके हैं और औद्योगिक घरानों नै भी विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहल पर शुरू किये गये आर्थिक सुधारों के बारे में सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं।

3.10 पिछले दो वर्ष में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत सी औद्योगिक इकाईयों को हड़प लिया है जिसके कारण भी इन कंपनियों को भारतीय अर्थ व्यवस्था पर आधिपत्य जमाने तथा भारतीय कम्पनियों द्वारा विकसित सुविधाओं द्वारा और अधिक मुनाफा कमाने में सहायता मिल रही है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों को तथाकथित 'समान स्तर पर चलने' की इजाजत नहीं दी जा रही है। जनवादी आंदोलन को तेज किये बिना भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान आर्थिक संकट से निकलना और आत्मनिर्भर रास्ते पर चलना संभव नहीं हो पायेगा।

3.11 विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जोसेफ स्टिग्लिट्स ने फिनलैंड में अपना हाल के भाषण में विश्व बैंक द्वारा निर्देशित की जा रही शर्तों कुछ सवालिया निशान लगाये हैं। उन्होंने कहा, 'सरकार बाजार से भी बदतर होती है' – मैं इस तरह के वक्तव्यों में विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूं कि सरकार बाजार की असफलताओं के हल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आम बात है।''

3.12 स्टिग्निट्स ने चीन की सफलता की व्याख्या करते हुए नोट किया, ''चीन ने राज्य के अधीन व्यवसायों का निजीकरण किये बगैर प्रतियोगिता का दायरा बढाते हुए अर्थव्यवस्था में दो अंकों की विकास दर बनाये रखी है।''

3.13 उन्होंने विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों जिनके कारण बेरोजगारी बढ़ी हैं, की आलोचना इस तरह की– ''थोड़े समय में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होना साफ तौर पर अकार्यक्षमता है।'' उन्होंने ऐसा आह्वान किया,

3.14 विश्व बैंक के ऊंचे स्तर के विशेषज्ञ द्वारा इस स्वीकृति ने विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जा रही ढांचागत सुधार कार्यक्रम के देवालियापन को रेखांकित किया है।

3.15 एम ए आइ का खतरा सन् 1995 से ही 29 ओ ई सी डी सदस्य देशों के बीच में 'निवेश पर समझौता के बारे में बातचीत चल रही है। अगर प्रस्ताव पास होकर समझौता हो जाता है तो इससे सभी देशों के सार्वभौम अधिकतर बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर मामले में सर्वोच्च रहेगी।

3.16 एम ए आइ से विश्व व्यापार संगठन और भी भद्दा जायेगा। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कोई बंदिश नहीं लगायेगा बल्कि राज्यों या सरकारों पर कई प्रकार की रोक थोप देगा। इस समझौते के अनुसार किसी भी देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की घुसपैठ को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा और ये कंपनियां सिर्फ रक्षा उत्पादन को छोड़कर किसी भी उद्योग में अपना निवेश कर सकेंगी। प्रस्तावित समझौते में ऐसी तमाम रुकावटों को हटाने का प्रावधान है जिनसे कि एक निवेशक को किसी भी प्रकार से उनके मुनाफों की कमी होती हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों राष्ट्रीय कानूनों के भी ऊपर होगी और उन देशों या प्राधिकरणों के खिलाफ जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें अपराधी घोषित कर कानूनी कार्यवाही करेंगी।

3.17 इस प्रस्तावित समझौते में वाणिज्यिक व गैर वाणिज्यिक (संस्कृति और स्वास्थ्य सहित) प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, खनन आदि सभी में निवेश का प्रावधान है। इस तरह इस समझौते परिधि में प्रत्येक प्रकार की आर्थिक गतिविधि आती है और कोई भी सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और प्रभाव को नहीं रोक पायेगी।

3.18 विश्व व्यापार संगठन के साथ-साथ इस समझौते को भी अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो मजदूरों का हड़ताल व सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार नहीं रहेगा। राज्य देश या सार्क जैसे क्षेत्रीय ग्रुप के लिए रोजगार, सामाजिक प्रगति, विकास या पर्यावरण रक्षा में निवेश करना संभव नहीं होगा।

3.19 समझौते से दुनिया में नवउपनिवेश बन जायेंगे और विकासशील देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट का विरोध भी नहीं कर पायेंगे। इसलिए, तमाम विकासशील देशों को एक साथ समझौते का विरोध करना चाहिए क्योंकि इससे वे बुरी तरह से

गुलाम बन जायेंगे। दुनिया भर के ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक साथ आकर इस सबसे बुरी तरह की नई तकनीक का डटकर विरोध करना चाहिए ताकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक विनाश होने से बचाया जा सके।

संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन विकसित करने के प्रयत्न

4.1 आम चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ट्रेड यूनियनों द्वारा यह बड़े जोर से महसूस किया जा रहा है कि मजदूर वर्ग से संबंति कुछ आम मुद्दों पर संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन दुबारा शुरू किये जायें। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का सवाल भी उभरकर सामने आया है। दिनों के 24, मार्च 1998 को 'सार्वजनिक क्षेत्र ट्रेड यूनियनों समिति' के कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं पर विचार हुआ। इस बैठक के निर्णय के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की विभिन्न समस्याओं जैसे-अन्तरिम सहायता का भुगतान, बीमार इकाइयों की समस्या, वेतन संशोधन का सवाल, निजीकरण का विरोध आदि को हल करने के लिए प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री, उद्योग तथा श्रममंत्री को ज्ञापन दिये गये। और दिन 7 अप्रैल, 1998 को एक प्रतिनिधिमंडल उद्योग व श्रममंत्री से भी मिला। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियन समिति की अगली बैठक दिल्ली में 12 व 13 मई को दिल्ली में बुलाई जायेगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरों का एक संयुक्त आंदोलन का कार्यक्रम तय किया जा सके। इस बात पर भी स्वीकृति हुई कि उपरोक्त मुद्दों पर पूरी तरह से संयुक्त आंदोलन बनाने के लिए इंटक व भारतीय मजदूर संघ को भी शामिल किया जाय।

4.2 ट्रेड यूनियनों का स्पोंसरिज कमेटी की बैठक भी ट्रेड यूनियन मोर्चे पर संयुक्त आंदोलन को शुरू करने पर विचार करने के लिए दिनांक 26 मार्च 1998 को हुई। बैठक में यह महसूस किया गया कि मजदूर वर्ग विभिन्न लाम्बित मुद्दों व समस्याओं के हल के लिए संयुक्त आंदोलन शुरू किये जायें। बैठक में इस पर भी विचार किया गया कि जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच की गतिविधियों को भी शुरू किया जाय तथा राष्ट्रीय मंच की प्रारंभिक बैठक विभिन्न संगठनों द्वारा महसूस की जा रही कुछ ज्वलंत समस्याओं तथा उनके निदान के लिए संयुक्त आंदोलन का कार्यक्रम तय करने के लिए दिनांक 11/4/98 को बुलाई जाय। जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच द्वारा विचार किये जाने वाले मुद्दों को मूर्तरूप देने के लिए स्पोंसरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 11/4/98 को संपन्न हुई।

4.3 यह भी संभव हुआ है कि पांच मुख्य ट्रेड यूनियन संगठन हर महीने आपस में विचार विमर्श करेंगे और स्वीकृत मुद्दों पर संयुक्त आंदोलन चलाने के लिए कार्यक्रम बनायेंगे। चुनावों के दौरान ऐसी बैठक नहीं हो पाई और ऐसी पहली बैठक संयुक्त आंदोलन को मजबूत करने व वर्तमान स्थिति पर बातचीत करने के लिए 12 अप्रैल को हुई।

4.4 हम सरकारी पेंशन योजना की विरोधी ट्रेड यूनियनों का एक मोर्चा बनाने में कामयाब हुए। यह मोर्चा चुनाव अभियान के समय निस्क्रिय रहा। संयुक्त मोर्चा सरकार के पतन के कारण पेंशन योजना के विरोध में की जानी वाली प्रस्तावित 17 दिसम्बर 1997 की हड़ताल के आह्वान को टालना पड़ा। लेकिन इस बीच पेंशन योजना के खिलाफ मजदूरों का क्रोध बढ़ा है। पेंशन लाभ की समय-समय समीक्षा करने का सरकार का वायदा ठीक प्रकार से लागू नहीं हुआ है। पेंशन योजना के बारे में बढ़ोतरी की है। इस स्थिति की समीक्षा करना तथा सरकारी पेंशन योजना के खिलाफ संयुक्त संघर्ष का कार्यक्रम तय करना अति आवश्यक है ताकि मजदूरों को लामबंद किया जा सके। उच्चतम न्यायालय में हमारे केश की सुनवाई होने वाली है जिसमें कि सभी उच्च न्यायालयों में दायर केश भी उच्चतम न्यायालय के सामने ला दिये गये हैं। उच्चतम न्यायालय में केश को लड़ने के लिए काफी खर्चा होना है और इसके लिए सीटू की यूनियनों से मदद चाहिए ताकि फंड की कमी के कारण केश को कोई नुकसान न हो पाये। इन विभिन्न आंदोलनों में सामन्जस्य बनाना है और देश भर में बड़े से बड़े आंदोलन छेड़ने हैं।

4.5 लेकिन, आज की वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों में हमें मजदूरों की भावनाओं को समझना है ओर एक योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाने हैं ताकि जब भी कार्यक्रम बने उनमें मजदूरों की भागेदारी सुनिश्चित की जा सके। अत: मजदूरों को आर्थिक नीतियों के गंभीर परिणामों व उनके द्वारा झेली जा रही है कठिनाइयों के बारे में शिक्षित करने के लिए 'सघन राजनैतिक शिक्षा' की आवश्यकता हैं ताकि इन मुद्दों के बारे में वे ठीक प्रकार से शिक्षित हो सकें।

4.6 इस दिशा में सीटू की सभी राज्य कमेटियों एवं औद्योगिक फेडरेशनों को और ज्यादा सक्रिय होना है ताकि सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षा का कार्यक्रम ठीक प्रकार से संगठित किया जा सके। जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच का एक राष्ट्रीय सम्मेलन और फिर राज्य स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन का एक प्रस्ताव आया है इससे मजदूरों के समक्ष फौरी समस्याओं पर देशव्यापी संघर्ष पैदा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में राज्य समितियों तथा औद्योगिक फेडरेशनों को मजदूरों को इसके लिए लामबन्द कने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है

सीटू द्वारा स्वतंत्र जन संघर्ष की तैयारी

4.7 मजदूर वर्ग द्वारा सामने उपस्थित आम समस्याओं पर जन

संघर्ष चलाने के लिए सीटू को अपने स्वतंत्र कार्यवाही पर जोर देना चाहिए। राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर हमारी पहल के बिना ताकतबर संघर्ष के लिए आधार बनाना सम्भव नहीं है। हमारा यह अनुभव रहा है कि संयुक्त संघर्ष केवल उन्हीं क्षेत्रों में जोरदार तरीके से विकसित हो पाये हैं जहां हमने जन संघर्षों में पहल की है। कुछ राज्य कमेटियां की राष्ट्रीय आह्वानों में सही कार्यवाईयां नहीं रही हैं। जिनके कारण उन क्षेत्रों में आम मुद्दों पर समुचित शक्ति से आंदोलन नहीं हो पाया।

4.8 सीटू यूनियनों को फौरी मुद्दों पर अपने स्वतंत्र आंदोलन संगठित करने होंगे, इससे दूसरे संगठनों के आंदोलनों में सम्मिलित होने का वातावरण पैदा होगा। हमने कुछ संगठनों को देखा है। क वे केद्र के स्तर पर बैठकों में राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हैं लेकिन उन आह्वानों को लागू करने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारी यूनियनों की पहल और हमारी स्वतंत्र कार्यवाइयों से आम आंदोलनों में दूसरे संगठनों को भी सम्मिलित होने का वातावरण तैयार होगा। संघर्ष से विमुख या बचे रहने वाले संगठन या नेताओं को भी संघर्षों में शामिल होने के लिए तैयार होना पड़ेगा जव देखेंगे कि नीचे के स्तर पर उनके कैडर व मजदूरों का उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

4.9 हमें प्रत्येक अखिल भारतीय स्तर पर किये गये संयुक्त आंदोलन की समीक्षा अखिल भारतीय स्तर की बैठक में करनी चाहिए और संयुक्त आंदोलन में हमारी जिला कमेटियों व राज्य कमेटियों द्वारा निभायी गई भूमिका और अपनी स्वतंत्र गतिविधियों का अध्ययन करना चाहिए। हम वैसी प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक जनता को आंदोलनों के साथ जोड़ सकते हैं।

मजदूर-भूमिहीन किसानों के गठबंधन का सवाल

5.1 सीटू अपने जन्म से ही मजदूर-भूमिहीन किसानों के गठबंधन की आवश्यकता पर बल देती रही है ताकि भूमिहीन किसानों के जमीन के संघर्षों में मजदूर वर्ग की एजुटता साकार की जा सके। सीटू के कई साथियों ने इसे एक केन्द्र बिन्दु बनाकर कहा है कि जमीन के सवाल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम तय होना चाहिए ताक मजदूर-भूमिहीन किसानों के गठबंधन का ताकतवर बनाया जा सके। इस बारे में अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं के साथ औपचारिक बातचीत का स्वागत योग्य है और सभी स्तरों पर मजदूरों-भूमिहीन किसानों का उचित गठबंधन बनाने के लिए सीटू नेताओं और हमें अखिल भारतीय किसान सभा की बैठने के आयोजन का प्रबन्ध करना चाहिए। तथा स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर एक ठोस कार्यक्रम तैयार कर ऐसा गठबंधन बनाना चाहिए। यह मजदूर व भूमिहीन किसानों के दोनों संगठनों को देश में उचित गठबंधन बनाने के लिए कार्य करने की तरफ दिशा निर्देश देगा। जनरल कौंसिल की इस बैठक के बाद इस दिशा में हम प्रयास जारी रख सकते हैं ताकि हमें रोजाना के संरक्षण के लिए इस नारे को ठोस रूप दिया जा सके। मजदूर-भूमिहीन किसानों के गठबंधन को शक्तिशाली बनाने के कार्य को आर्थिक नीतियों के विरुद्ध साझा संघर्ष में हमारा सहयोग देगा और इस तरह संघर्ष नई ऊंचाइयों पर पहुंच पायेगा।

संगठन की स्थिति

6.1 संगठन के भुवनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन कही प्रगति पर पिछले कार्य समिति की बैठक में हुई लाभदायक विचार-विमर्श के दौर को भी एक उपलब्धि के रूप में लिया जा सकता है। फिर भी इसके तुरन्त बाद उत्पन्न राजनैतिक उथल-पुथल जिसकी परिणति मध्यावधि चुनाव के रूप में अगली कार्यवाही कही अनुमति नहीं देता। इसके बाद जनरल कौंसिल को बताने हेतु कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो शिमला की कार्यसमिति की बैठक में सामने आया। यह जरूरी है कि जनरल कौंसिल को विचार-विमर्श की जानकारी हो क्योंकि यही अगले कदम पर विचार करेंगे। जैसा कि वादविवाद पत्र में उल्लखित है, पिछले कुछ प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि ज्यादातर राज्य समितियां अपनी रिपोर्ट नहीं भेज पाई, बावजूद इसके कि रिपोर्ट की तैयारी हेतु दो बार प्रश्नावली जारी की गई.। इस समय भी स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आती। शिमला कार्य समिति की वाद विवाद पत्र को तैयार करने से पहले सिर्फ 6 राज्य समितियों से रिपोर्ट प्राप्त हुए थे। फिर भी सचिवालय ने उपलब्ध तथ्य को लेकर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। इसे तैयार करने में छः रिपोर्ट के अलावा दो राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट की भी सहायता की गई। अच्छी बात यह है कि कुछ और राज्य समितियों ने अपनी रिपोर्ट बैठक से पहले या उसके दौरान उपलब्ध करायी। इस बात पर बहुत अधिक जोर इसलिए दिया जा रहा है कि रिपोर्ट को भेजने में असफल असफलता अपने आप में ही एक बड़ी संगठनात्मक कमजोरी है जिस पर हमें जल्द से जल्द काबू पाना चाहिए।

केंद्र के क्रियाकलापों की आत्म-आलोचनात्मक हवाला देने के बाद पत्र में राज्य व निचले स्तर के संगठन की स्थिति के कई पहलुओं पर विचार किया गया है तथाकुछ निष्कर्ष भी निकाले गये हैं। केन्द्र के कार्य सम्पादन के संबंध मे इसमें चार प्रमुख कमजोरियों को बताया गया है। पहला, केन्द्र में समुचित दल-बल का न होना। इसके समाधान यही है कि राज्य समिति योग्य कामरेड्स को केन्द्र के लिए मुक्त करें। कुछ कामरेड्स की पहचान तो कर ली गई है लेकिन राज्यों से मुक्त किया जाना अभी भी बाकी है। दूसरा, कुछ प्रति के बाद भी सही अर्थ में सामूहिक क्रियाकलाप जो केन्द्र की बेहतर भूमिका को सुनिश्चित कर सके को अभी भी

प्राप्त करना शेष है। तीसरा, हालांकि हिन्दी क्षेत्र के कामरेड्स को कई बैठकें आयोजित की गईं हैं तथा उनकी समस्याओं पर कुछ लाभप्रद विचार विमर्श हुआ है लेकिन सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र या किसी राज्य में आगे की बढ़ोतरी के लिए कोई ठोस योजना अभी भी हमें लुभा रही है। विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के लिए इस तरह की योजना को तैयार करने हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया गया है। और अन्त में मजदूर वर्ग की वैचारिक मोडलिंग के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई भी उल्लेखनीय चीज तैयार नहीं की गई है। केन्द्र के पहल पर कोई भी श्रमिक संघ कक्षा आयोजित नहीं की गई। यहां तक कि दो्तीन साल पहले घोषित श्रमिक संघ कक्षा के लिए पाठ्यक्रम/व्याख्यान हेतु संक्षिप्त लेख को भी अभी तक जारी नहीं किया गया है।

6.4. राज्य के रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर वाद-विवाद पत्र में निम्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है।

6.4.1. कुछ मुख्य राज्यों सहित कुछ राज्यों की आधी संख्या केन्द्र को चोकसी कर पुनर्निक्षण को सुनिश्चित करने हेतु अपनी रिपोर्ट भेजने के महत्व के सबंण्ध में चेतना के अभावा को परिचय देते हैं।

6.4.2. जो भी रिपोर्ट प्राप्त हुई वे विस्तृत व क्रमबद्ध थी। समयाभाव के कारण वाद-विवाद पत्र में हर चीज का समावेश नहीं किया जा सका।

6.4.3. मोटे तोर पर रिपोर्ट करने वाले राज्य भुवनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भिक कदम उठाया है जैसे- दस्तावेज को जारी करना, क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना, विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श करना इत्यादि कुछ राज्य समितियों में दस्तावेज स्वीकार होने के तुरन्त बाद कार्य षुरू कर दिया जबकि कुछ राज्य समितियों ने विलम्ब से शुयआत की।

6.4.4. राज्य व जिला स्तर पर विचार-विमर्श के लिए आधार के रूप में दस्तावेज के अनुरूप आत्मआलोचनात्मक रिपोर्ट तैयार करने के विचार को सभी ने गंभीरता से नहीं लिया। वे राज्य भी जिन्होंने इस तरह के रिपोर्ट तैयार किये विचार-विमर्श की रिपोर्ट के साथ केन्द्र को नहीं भेजा। वे रिपोर्ट केन्द्र के लिए महत्वपूर्ण आधार रहा होता।

6.4.5. रिपोर्ट राज्य व जिला स्तरीय बैठकों की बारम्बार उपस्थिति में कुछ प्रगति दर्शाता है। कुछ राज्यों को दस्तावेज में उल्लखित लक्ष्य अभी भी प्राप्त करने हैं।

6.4.6. कुछ राज्यों के सचिव-कण्डल जिला समिति परिषद व समिति के बैठकों में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लिखित रिपोर्ट पर ही विवार-विमर्श विस्तृत विषयानुसार हो सकता हे तो काये के गुणवत्ता को बढ़ाता है।

6.4.7. राज्य समितियों सीटू की संरचना में जिला समितियों के महत्व से कमोवेश अनभिज्ञ हैं, खासकर सीटू के क्रियाकलाप के प्रसार में उसके द्वारा आदा किये जाने वाली भूमिका से।

6.4.8. सभी राज्य समितियां ने अभी तक अखिल भारतीय उद्योगों खासकर सार्वजनिक उपक्रम में राज्य स्तरीय क्रियाकलापों में मेल-जोल हेतु कोई उचित मशीनरी तैयार नहीं किया है।

6.4.9. कामकाजी महिलाओं को संगठित करने संबंधी कमजोरी अभी भी वर्तमान है।

6.4.10. हालांकि केन्द्र शिक्षा व प्रशिक्षण के मामले में असफल रहा है। कई राज्यों में विभिन्न स्तरों के मजदूरों के लिए केन्द्र की सहायता से कक्षा आयोजित की जानी है। लेकिन किसी भी राज्य में यह उनके नियमित क्रियाकलापों का अंग नहीं है।

6.4.11.जनतांत्रिक कार्य संपादन के प्रश्न पर भुवनेश्वर दस्तावेज तथा मुख्यत: नौवें सम्मेलन कमीशन पेपर दोनों में बहुत जोर दिया गया है। लेकिन इस संबंध में रिपोर्ट सामान्यतया चुप हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य समितियों की तरफ से जनतांत्रिक तरीके से कार्य सम्पादन के विकास के लिए प्रयास जानी है। सिर्फ संगठनात्मक व्यवस्था ही जनतांत्रिक रूप से कार्य सम्पादन को सुनिश्चित नहीं करता बल्कि जनतांत्रिक प्रवृत्ति को पैदा करना व उसका विकास महत्वपूर्ण है।

6.5. इसके अलावा वाद-विवाद पत्र में सीटू संगठन में पूर्णकालिक कामरेड्स के महत्व पर चर्चा की गई तथा उनके कार्य करने के परिवेश, मनोवृत्ति व समस्याओं संबंधी जानकारी हेतु एक प्रकार का जनगणना करने का प्रस्ताव रखा है।

6.6. अपने मौखिक रिपोर्ट तथा व्यक्त विचारों के द्वारा कामरेड्स प्राय: लिखित रिपोर्ट में प्रकट प्रवृत्तियों को प्रमाणित करता है। फिर भी जैसा कि एक कामरेड्स ने इंगित किया, विकास में स्पष्ट असमानता है फलस्वरूप दस्तावेज के क्रियान्वयन में भी। हालांकि सामान्यता प्रगति हुई है लेकिन कुछ राज्यों में प्रगति बहुत थोड़ी है, कुछ पहलुओं में तो यह नगण्य भी हो सकता है।

6.7. निर्णय के दौरान बहुत से प्रासंगिक विषयों को उठाया गया जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।

6.7.1. ज्यादातर प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम/व्याख्यान लेख की तैयारी में असफलता के लिए केन्द्र की आलोचना की। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सीटू के इतिहास के प्रकाशन में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए जिसका निर्णय रजत जयंती के अवसर पर लिया गया था। राज्यों में शिक्षा आयोजन के लिए राज्य समितियों को सहायता की जरूरत है।

6.7.2. इस बात को भी कहा गया कि औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी भारत के विशेष अध्ययन के लिए केन्द्र को अभी भी पहल करना है।

6.7.3. कुछ राज्यों में ऐसे बड़े संगठन हैं जो सीटू के समर्थक

नेताओं द्वारा चलाए जा रहे हैं लेकिन वे सीटू से आपे आपको नहीं जोड़ते। ऐसे संगठनों को औपचारिक रूप से मिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

6.7.4. इस बात के तरफ भी इशारा किया गया कि राज्य समिति के कार्य सम्पादन के लिए उत्तरदायी नेताओं में साधारणतया यह प्रवृत्ति है कि वे राज्य समिति के नेता बनने के बजाय अने मूल संगठन के ही नेता बने रहते हैं, फलस्वरूप राज्य समिति के कार्य प्रभावित होते हैं।

6.7.5. ऐसे संगठन, जिसका क्षेत्र दो या अधिक राज्यों में विस्तृत है, की समस्याओं का निस्तारण जरूरी है क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र को उचित रूप में निर्धारित नहीं किया गया है।

6.7.6. दलितों व आदिवासियों के मामले भी सीटू द्वारा उठाया जाय तथा उन लोगों को सीटू में अधिक से अधिक संख्या में लाने के लिए प्रयास किये जायें।

6.7.7. केरल में संगठित क्षेत्र में हमारे विस्तार की क्षमता अने चरम को पहुंच गई है क्योंकि ऐसे क्षेत्र ही सिमट रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में हमारी सदस्यता बढ़ रही है। एक कामरेड ने यह विचार व्यक्त किया कि असंगठित क्षेत्र में अखिल भारतीय संगठन कोई लाभप्रद प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता।

6.7.8. ऐसे राज्यों में जहां सामन्ती संस्कृति प्रबल है, जनतांत्रिक रूप से कार्य करना बहुत कठिन है। ऐसे में केन्द्र की चौकसी व नियंत्रण जरूरी है।

6.8. अब जबकि चुनाव समाप्त हो गया है यह उचित समय है कि संगठन को सही करने के लिए अपना काम गंभीरता से दुबारा शुरू करें। जो राजनैतिक परिवर्तन हुआ है वह मजदूर वर्ग के लिए कोई अच्छे दिनों का संकेत नहीं देता। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मजदूर वर्ग के पास **'संगठन का हथियार'** को विशिष्ट महत्व है। सचिव मण्डल इसके कार्य सम्पादन में अच्छी सामूहिकता के लिए लगातार प्रयासतर हैं। जैसा कि कार्य समिति में कहा गया था, कुछ विषयों पर व्याख्यान लेख का प्रारूप पूरा कर लिया गया है तथा उसे जारी किया जा रहा है सचिवालय ने केंद्रित श्रमिक संघ कक्षा व हिन्दी क्षेत्र के लिए अलग कक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसके लिए आवश्यक तैयारी आम परिषद की बैठक के बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। हम आशा करते हैं कि संबंधित राज्य समितियां केन्द्र की ताकत को बढ़ाने के लिए सहयोग देंगी जो केन्द्र ो अच्छे ढंग से उत्तरदायित्व वहन करने में समर्थ बनायेगा। हम आशा करते हैं कि राज्य समितियां अने राज्यों के संघों सहित संगठन की स्थिति में ठोस प्रगति करने हेतु इसी तरह का प्रयास करेंगी। जिससे कि अगले पुनर्रीक्षण के दौरान अच्छी तस्वीर उभर कर सामने आये।

6.9. हमारे शिमला अभ्यास में बड़ी कमजोरी यह थी कि हमारा पुनर्निरीक्षण राज्यों/जिलों तक सिमटकर रह गया था। लेकिन इस बार भी यह संघों द्वारा किए गये आत्मालोचनात्मक मूल्यांकन रिपोर्ट की अनुपलब्धता ही रही कि यह क्षेत्र हमारे विचार-विमर्श के दायरे से बाहर रहा। संघों के मामले में भी कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुए जबकि ज्यादातर संगठन अनुपस्थित रहे जिसके कारण प्राप्त रिपोर्ट के साथ न्याय नहीं किया जा सका। हम आशा करते हैं कि सभी सघ अपने अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु समयबद्ध-योजना बनायेंगे।

उद्योगवार संघों की कार्य प्रणाली पर

7.1 अखिल भारतीय औद्योगिक संघों के कार्य और संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा काफी लम्बे अरसे से नहीं हुई है। 1993 में "संगठन पर रिपोर्ट" को अंतिम रूप देते समय इस महत्वपूर्ण काम की जरूरत को दोहराया गया था, तत्पश्चात् कम से कम दो बार औद्योगिक संघों से "संगठन पर रिपोर्ट" के मध्यस्तर सम्बन्धि संघों के काम की समीक्षा रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया गया था। लेकिन कुछेक को छोड़कर अधिकांश संघों ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी और एक को छोड़कर प्राप्त रिपोर्ट्स सामन्यीकृत थी जिनके आधार पर कोई अर्थपूर्ण समीक्षा रिपोर्ट तैयार करना बहुत कठिन है। सीटू सचिवालय द्वारा सचिवालय के सदस्यों के विभिन्न संघों के काम से जुड़े होने के माध्यम से जो कुछ भी सूचनाएं सकत्रित की जा सकीं हैं, उनके आधार पर विभिन्न अखिल भारतीय संघों की कार्यप्रणाली पर कुछ सामान्य दृष्टिपात ही किया जा सकता है।

7.2 सीटू के अन्तर्गत प्रत्यक्षत: बारह अखिल भारतीय औद्योगिक संघ हैं। जहां तक कार्यप्रणाली का सम्बन्ध है तो उनमें से "शूगर वर्कर्स फैडरेशन आफ इंडिया" और "अखिल भारतीय जूट वर्कर्स फेडरेशन " व्यवहारत: निष्क्रिय हैं। यद्यपि प्रतिष्ठान के स्तर पर शूगर और जूट दोनों ही उद्योगों की यूनियनें काफी सक्रिय हैं। अन्य में अखिल भारतीय प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन और अखिल भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन में संघीय स्तर पर नियमित बैठकें नहीं हो रही हैं और अधिकतर इन दो संघों की बैठकें सामान्यतया सीटू की वर्किंग कमेटी जनरल कौंसिल अथवा सीटू की कुछ अन्य बैठकों अथवा सीटू कान्फ्रेस के साथ जोड़ दी जाती है और संगठित तरीके से बैठकें आयोजित करने के बजाए अल्पावधि के लिए की जाती हैं।

7.3 अधिकतर संघों के मामले में अखिल भारतीय वर्किंग कमेटी की बैठकें सामान्यतया अच्छी प्रकार तैयार की गयी लिखित रिपोर्ट के बिना ही आयोजित की जाती हैं और इन बैठकों में सामान्यतया फौरी समस्याओं पर विचार किया जाता है जबकि संगठनात्मक मामलों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। शायद कुछ ही संघों में सीटू के संगठनात्मक दस्तावेज पर पूर्ण रूप से बहस

होती है और सीटू केंद्र द्वारा बार-बार जोर दिये जाने वाले कामों और कमियों की पहचान की जाती है।

7.4 यदि देश भर में फैले इस उद्योगों के विभिन्न हिस्सों में सीटू की सदस्यता का ठीक प्रकार विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि उद्योगों के अच्छे-खासे क्षेत्र में सीटू अत्यधिक कमजोर है और सदस्यता की कुल वृद्धि दर बहुत कम, बल्कि अवरुद्ध है। संगठन के ऐसे मंद विकास के लिए उत्तरदायी कारणों में इन संघों की कार्य प्रणाली की कमजोरी भी एक कारण है।

7.5 और ये सब कमजोरियां उद्योगों के मजदूरों पर सीटू के सामान्य प्रभाव के संगठन और सदस्यता में परिणित करने में हमारी असफलता में योगदान दे रही हैं। कोयला उद्योग के एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है। अकेले सीटू के आह्वान पर चार लाख से अधिक कोयला मजदूरों के एक से अधिकतर देशव्यापी हड़ताल कार्रवाईयों में लामबंद किया गया है, परन्तु कोयला उद्योग में हमारी सदस्यता मात्र एक लाख के आसपास ही रही है। दूसरे उद्योगों में भी ऐसे ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। और इन सभी उद्योगों में अन्य ट्रेड यूनियन संगठनों के नेतृत्व की वर्ग सहयोगी तथा अवसरवादी गतिविधियों के परिणाम-स्वरूप उनका आधार तेजी से खिसक रहा है, परन्तु हम उन्हें पर्याप्त संख्या में सीटू की ओर खींचने में असफल रहे हैं और जहां कहीं हम उन्हें अपनी ओर ला पाये हैं तो कुछ हद तक उस नयी शक्ति के संगठन में कायम रखने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने में कमी रही है। परिणामस्वरूप, विशेषकर संगठित क्षेत्र में तथाकथित स्वतंत्र ट्रेड यूनियनवाद और स्थानीयवाद की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। हमारे संघों के नेतृत्व को इस हानिकारक प्रवृत्ति के खतरे को महसूस करना चाहिए।

7.6 सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने उद्योगवार संघों से सम्बन्धित उद्योगों के मजदूरों के एक सच्चे अखिल भारतीय मंच के रूप में विकसित करने में असफल रहे हैं। इसके बनाए, उद्योगवार संघों में हम केवल संबन्धित उद्योग के अन्तर्गत प्रतिष्ठान क्षेत्र स्तर की यूनियनों में आंदोलन एवं गतिविधियों को समनन्वित करने में, व्यस्त रहे हैं, हालांकि यह काम भी प्रभावशाली ढंग से नहीं किया गया, संघ के मुख्यालय में कार्यरत कामरेडों सहित उस संघ विशेष की अखिल भारतीय कमेटी के अधिकांश कामरेड केवल अपने-अपने प्रतिनिधित्व वाले प्रतिष्ठान/इकाई/क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधियों की हैसियत से अधिक काम करते हैं जबकि सम्बन्धित उद्योग के अखिल भारतीय नेता के रूप में कम। अधिकतर मामलों में हमें अभी अखिल भारतीय नेतृत्व की प्रभावशाली टीम को विकसित करना है जो सम्बन्धित उद्योग में संगठन के असमान विकास की समस्याओं पर ध्यान दे सके और इस तथ्य के बावजूद कि समस्त सम्बन्धित उद्योगों में हमारी अनेक मजबूत यूनियनें इकाई/प्रतिष्ठान/क्षेत्र स्तर पर हैं और प्रभावशाली नेताओं की कोई कमी नहीं है, समूचे उद्योग के स्तर पर एक समरूप अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करने का काम अंजाम दे सके।

7.7 संघों के मुख्यालय की प्रभावी कार्य पद्धति में कमजोरी भी सम्बन्धित संघों की संगठनात्मक सुदृढ़ता में कमी के प्रमुख कारणों में से एक है। उद्योगवार अखिल भारतीय संघ की संपूर्ण अवधारणा एक समान दृष्टिकोण विकसित करने और उद्योग विशेष के मजदूरों का एक सुदृढ़ देशव्यापी जीवंत संगठन खड़ा करने पर आधारित थी जसके आधार पर एक मजबूत देशव्यापी आंदोलन का विकास किया जा सके और असमान तथा विविध स्थिति की पृष्ठभूमि में संगठन में चेतना का स्तर बढ़ाने की एक सुचारू प्रक्रिया आरंभ की जा सके। इस सम्बन्ध में संघ के केंद्र की प्रभावी कार्यप्रणाली बहुत योगदान दे सकती है और उद्योग के विभिन्न हिस्सों से साधनों/कुशलता/अनुभव के इच्छित दिशा में समन्वित करने में भी मदद दे सकती है।

7.8 औद्योगिक संघों के गठन के पश्चात् यद्यपि हमने सम्बन्धित उद्योगों में प्रगति की है और इस तथ्य के बावजूद कि अधिकतर संघों ने मजदूरों की देशव्यापी औद्योगिक कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उद्योग के पोषित उद्देश्य को पूरा करने में हम अभी भी काफी पीछे हैं।

7.9 बहुत से उद्योगों में सीटू यूनियनों के अनवरत संघर्ष के जरिये वार्ताकार यूनियन का दर्जा हासिल किया और संघर्ष की प्रक्रिया के बहुत से उद्योग आधारित संघों को भी जन्म दिया। यह भी आशा की गयी थी कि इन उद्योगों में हमारी वार्ताकार की हैसियत हमारे संगठनात्मक आधार को और आगे बढ़ाने तथा मजबूत करने में सहायक होगी। बहुत से मामलों में यह आशा पूरी नहीं हुई है। बल्कि बहुत उद्योगों में अत्यधिक विकसित करने वाला यह तथ्य नोट किया गया है कि उद्योग के शीर्ष वार्ताकार फोरम में कामरेडों के प्रतिनिधित्व से जन कार्रवाइयों की गति में बढ़ोतरी के बजाए गिरावट आयी है। बहुत से मामलों में वार्ताकार कमेटी की बैठक के निष्कर्ष की मजदूरों को ठीक से रिपोर्ट नहीं दी जाती है। आंदोलन संगठित करने के बजाए, गतिविधियां केवल वार्ता पर केन्द्रित हो जाती हैं जिसका परिणाम सम्पर्कों में ह्रास और आर्थिक मुद्दों तक सीमित हो जाने के कारण जनाधार खिसकने लगता है, समस्त संघों को ऐसी प्रवृत्ति के गंभीरता से लेना चाहिए और जन संगठनात्मक गतिविधियों के बनिस्पत वार्ताकार कमेटियों में अपनी भूमिका की उद्देश्यपरक समीक्षा करनी चाहिए। हमें यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि मजबूत संगठित आंदोलन का निर्माण किये बिना हम मजदूरों के हित की रक्षा और साथ ही उद्योग के हित की रक्षा के लिए भी वार्ताकार कमेटियों में प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकते

और ट्रेड यूनियन में केवल वार्ता पर केन्द्रीकरण हमें अर्थवाद तथा समर्थन आधार में ह्रास का शिकार बना देगा।

7.10 बहरहाल, समस्त औद्योगिक संघों के "संगठन पर रिपोर्ट" की रोशनी में शीघ्रातिशीघ्र संगठनात्मक स्थिति के गंभीर समीक्षा करके केन्द्र के एक स्पष्ट रिपोर्ट भेजने की जरूरत है ताकि आगामी बैठकों में हम अपने भविष्य के कार्यों के चिन्हित करने के लिए संघों की गतिविधि पर एक अधिक विशिष्ट और उद्देश्यमूलक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर सकें। कुछ बहु-इकाई उद्योगों संस्थाओं में कार्यरत अखिल भारतीय समन्वय समितियों के भी समन्वय समिति के दायरे के तरह ऐसा ही कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

7.11 उद्योगवार संघों और राज्य कमेटियों के बीच समन्वय में सुधार लाने की फौरी आवश्यकता है। कुछ राज्य कमेटियों की शिकायत है कि उन्हें उद्योगवार संघों के निर्माण की जानकारी नहीं मिलती जिसके परिणामस्वरूप वे इन निर्णयों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने में असमर्थ होते हैं। कुछ उद्योगवार संघ उनके द्वारा निर्धारित आंदोलन के कार्यक्रम के समुचित प्रचार का प्रबंध करने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। कभी-कभी सीटू की पत्रिकाएं भी समय पर रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण उसे प्रकाशित करने में असमर्थ रहती हैं।

त्रिपक्षीय कमेटियों की कार्यप्रणाली

8.1 केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा अनेक त्रिपक्षीय कमेटियां गठित की गई हैं। परन्तु सरकार द्वारा केवल विधायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके प्रत चलताऊ रवैया अपनाया जाता है, वर्षों पहले अच्छी-खासी संख्या में कमेटियां गठित की गयी थी जिनका पुनगर्ठन लम्बित है। इन बहुत पुरानी कमेटियों में ट्रेड यूनियनों के 1980 के उस अपचलित जांच पद्धति के परिणामों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था जिसका सीटू द्वारा बहिष्कार किया गया था। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्यता शक्ति की अनदेखी करते हुए चालू जांच परिणामों के आधार पर सीटू के बहुत-सी महत्वपूर्ण कमेटियों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। हमने श्रम मंत्रालय के त्रिपक्षीय कमेटियों की एक पूरी सूची प्रदान करने और प्रतिनिधि रहित कमेटियों में सीटू का प्रतिनिधित्व शामिल करने के लिए कहा है।

8.2 जहां इन कमेटियों की नियमित बैठकें नहीं बुलायी जाती, बहुत सी कमेटियों की बैठकें बिल्कुल ही नहीं होती। इसलिए बहुत से ज्वलंत मुद्दे जिन पर इन कमेटियों द्वारा विचार करने की आशा की जाती है, लगातार अनसुलझे ही रह जाते हैं। आगे, इन कमेटियों के निर्णय उचित तरीके से लागू नहीं किये जाते और कुछ मामलों में तो बाधा तक पैदा की जाती है। यहां तक कि भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति जैसे सर्वोच्च निकायों को भी सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता। इन मंचों के गपशप करने की दुकानों अथवा वाद-विवाद की सोसायटी में तब्दील कर दिया जाता है। इस स्थिति के एक पृथक घटना विकास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भूमंडलीयकरण और विनियमित बाजारी अर्थव्यवस्था की योजना के अंतर्गत त्रिपक्षीय कमेटियों के महत्व को योजनावद्ध और संवेदनहीन ढंग से घटाया जा रहा है। इन मामले में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार पर दबाव डालने हेतु ट्रेड यूनियनों का दृढ़ रुख बहुत आवश्यक है।

8.3 दूसरी ओर , इन कमेटियों में हमारे कामरेडों की कार्यप्रणाली को भी समय-समय पर जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी की बैठकों में समीक्षा किये जाने की जरूरत है। जब तक उचित प्रक्रिया द्वारा नामांकन न हो, बैठक विशेष में उपस्थित होने वाले किसी कामरेड को सम्बन्धित कमेटी में स्थायी रूप से नामित नहीं समझा जाना चाहिए। संगठन पर भुवनेश्वर प्रस्ताव ने हमें त्रिपक्षीय कमेटियों में अपने काम और अपने सदस्यों के काम की समीक्षा करने का निर्देष दिया है ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। "इन कमेटियों ने हमारे सदस्यों के समस्याओं से पूर्णरूप से परिचित होना चाहिए और सीटू के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से पेश करना चाहिए.....इन बैठकों की रिपोर्ट राज्य कमेटियों को प्रेषित की जानी चाहिए ताकि वे उनके विषय में सम्बन्धित यूनियनों को अवगत रख सकें....यूनियनों को भी स्थानीय स्थिति और मजदूरों की समस्याओं के विषय में सूचना प्रदान करते रहना चाहिए ताकि हमारे प्रतिनिधियों को कमेटी के समक्ष उठने वाले मुद्दों पर समुचित विवरण दिया जा सके।" आगे , राज्यों और केन्द्र के स्तर पर एक जैसी कमेटियां भी हैं। समान दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय कमेटियों में सीटू का प्रतिनिधित्व करने वाले कामरेडों की बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि इन कमेटियों में काम करने वाले कामरेडों को समुचित दिशा निर्देश दिये जा सकें।

ई एस आई स्कीम पर बहस

9.1 ई एस आई स्कीम की कारगरता और देशव्यापी अभियान के मुद्दे निर्धारित करने के लिए सीटू सचिवालय ने एक समझदारी पूर्ण बहस के आयोजन का निश्चय किया। ई एस आई एक्ट में संशोन की जरूरत है ताकि यह ज्यादा प्रभावी ढंग से मजदूर वर्ग के हित की सेवा कर सके। इस समय ई एस आई स्कीम की कार्यप्रणाली के विषय में मजदूरों में तीखा असंतोष है। ई एस आई के अस्पतालों में मजदूरों के समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। व्यापक भ्रष्टाचार और पक्षपात के कारण वास्तविक लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंचते जबकि नौकरशाही प्रशासनतंत्र इस संस्था को

खोखला कर रहा है। बहुत-सी राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार भी इस योजना की अधिक चिन्ता नहीं करती है। यदि योजना को एच्छिक बना दिया जाए तो कोई भी मजदूर इस योजना में शामिल न हो।

9.2 जब तक ट्रेड यूनियन आंदोलन स्कीम में सुधार के लिए ठोस प्रस्तावों के साथ संयुक्त आंदोलन के लिए आगे नहीं आता स्थिति आगे और भी बिगड़ने वाली है। कवरेज के लिए ई एस आई की सीमा मनमाने ढंग से वृद्धि ने बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र व संगठित निजी क्षेत्र की इकाइयों के मजदूरों में गहरा असंतोष उत्पन्न कर दिया है।

9.3. इस दुखद स्थिति का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन स स्कीम की खामियों के खिलाफ संघर्ष करने में अधिक रुचि नहीं ल रहा है। स्कीम की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हमने शायद ही कभी ई एस आई की कार्यप्रणाली को संघर्ष का मुद्दा बनाया हो। अब केन्द्र सरकार राज्य स्तरीय निगमों का गठन करके स्कीम का संपूर्ण प्रशासन राज्य स्तरीय निगमों के सुपुर्द कर देना चाहती है। केवल प्रशासनिक परिवर्तनों से स्थिति में सुधार नहीं होगा। स्पष्ट है कि एक बड़े देशव्यापी संयुक्त आंदोलन के बिना स्कीम और इसके क्रियान्वयन में सुधार नहीं लाया जा सकता है।

9.4. जनरल कौंसिल को का. काल घोष द्वारा तैयार पेपर पर बहस करनी चाहिए ताकि हम स्कीम में भूलभूत सुधारों के लिजए संयुक्त आंदोलनों के विकास हंतु निष्कर्ष निकाल सकें।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर

10.1. सीटू असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच कार्य को सुदृढ़ करने पर अधिक जोर देती है जो कि हमारी कुल श्रमशक्ति का 90 प्रतिशत से ऊपर हिस्सा है। हम इस क्षेत्र पर कुछ अधिक ध्यान देने में समर्थ हो पाये हैं और पिछले समय मे सदस्यता में कुछ सुधार हुआ है। बहरहाल, श्रमशक्ति का एक विशाल हिस्सा अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है और सीटू को और अधिक गंभीरता से इस काम केा अपने हाथ में लेना चाहिए। कुछ राज्य कमेटियों ने अच्छी शुरूआत की है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। हाल ही में, तमिलनाडु राज्य कमेटी ने एक दिन की हड़ताल संगठित की जिसे अन्य सम्बद्धताओं का भी समर्थन मिला।

10.2. तथापि बहुत-सी राज्य कमेटियों ने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया है जो इन राज्यों में सीटू के विकास को अवरुद्ध कर रहा है। कुछ राज्य कमेटियों द्वारा को-आर्डिनेशन कमेटी के गठन के निर्णय को गंभीरता से नहीं लिया गया है। बहुत-से राज्यों द्वारा अखिल भारतीय को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में श्रम नहीं लिया जा रहा है। हमारे मजदूर वर्ग के इस तिरस्कृत हिस्से के बीच काम की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की फौरी आवश्यकता है। इसलिए सीटू सचिवालय ने इस जनरल कौंसिल की बैठक मे इस पर विशेष बहस का निर्णय लिया है ताकि हम और अधिक तत्परता के साथ इस क्षेत्र में काम करने के तरीके ईजाद कर सकें।

संसदीय मोर्चे पर हमारा काम

11.1. पिछली सीटू कांफ्रेंस मे बोलने वाले बहुत से प्रतिनिधियों ने नोट किया था कि संसद में हमारा काम संतोषजनक नहीं था। उनकी शिकायत थी कि ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा उठाये गये बहुत-से मुद्दों पर संसद मे समुचित ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। उनमें से बहुतों की यह शिकायत थी कि विभिन्न संसदीय समितियों में संसद सदस्यों की गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट उन्हें नहीं मिलती। एक बिन्दु यह भी था कि बहुत-सी संसदीय समितियां जिनमें हमारे संसद सदस्य शामिल थे बहुत-केंद्रों पर पहुंची, परन्तु उन केन्द्रों पर पहुंचकर वे ट्रेड यूनियनों से नहीं मिले।

11.2. सीटू सचिवालय ने इस मुद्दे पर विचार किया और ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े सांसदों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि वे संसद के अंदर और बाहर अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। राज्य सभा में हमारे तीन सांसद हैं- का. ई बालानंदन, जीवन राय और दीपांकर मुखर्जी जबकि लोकसभा में हमारे आठ सांसद हैं-का. आनन्द पाठक, विकास चौधरी, तड़ित तोपदार, बासुदेव आचार्य, लाखन सेठ, अशीम बाला, अजय मुखर्जी और अबुल हसनत खान।

11.3. सचिवालय के निर्णय के अनुसार 30 मार्च, 1998 को सीटू कार्यालय मे इन सांसदों की एक बैठक कई प्रश्नों पर गइराई से विचार-विमर्श के लिए बुलायी गयी। का. ई बालानंदन ने बैठक की अध्यक्षता की। यह सहमति बनी कि सीटू केन्द्र और सांसद की गतिविधियों को ठीक ढंग से समन्वित करेंगे ताकि विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर संसद में अधिक प्रभावशाली तरीके से ध्यान केंद्रित किया जा सके। संसद में पेश होने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में यह सहमति बनी कि हमें इन सभी विधेयकों में संशोधन प्रस्तुत करने चाहिए और अपने दृष्किोण को अधिक प्रभावशाली ढंग से पेश करना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध स्थायी संसदीय समितियों में सीटू केन्द्र द्वारा नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान कर सांसदों की सहायता करनी चाहिए, ट्रेड यूनियनों के वैनरों मजदूरों के संघर्ष पर प्रतिवेदन के सवाल पर भी एक समप्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और मामलों को अधिक संयुक्त ढंग से लिया जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित सांसदों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और सुझाव दिया कि इस दिशा में अपनी गतिविधियों में सुधार के लिए मदद मिलेगी। बैठक में सांसदों को सचिवालय की समुचित सहायता की आवश्यकता

महसूस की गयी। यह निर्णय लिया गया कि सांसदों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को अधिक प्रभावी निर्वहन में मदद के लिए सीटू को केन्द्र में एक समुचति मशीनरी के निर्माण का प्रयास करना चाहिए जिससे ट्रेड यूनियन आंदोलन की आवश्यकता भी पूरी हो सकेगी। संसदीय मोर्चे पर हमारे काम में और सुधार के लिए जनरल कौंसिल के सदस्यों के सुझावों का स्वागत है।

कामगार महिलाओं के बीच हमारा काम

12.1 20 वर्ष से भी अधिक समय पहले कामगार महिलाओं की को–आर्डीनेशन कमेटी का गठन किया गया था और संगठन पर अपने दस्तावेज के मध्य नजर इस कमेटी के कामकाज की समीक्षा आवश्यक है। सचिवालय ने निर्णय लिया है कि को–आर्डिनेशन कमेटी के अपनी अगली बैठक में अपनी गतिविधियों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि विचार–विमर्श की रोशनी में इस तिरस्कृत मोर्चे पर अपनी गतिविधियों में सुधार के लिए उपाय किये जा सकें।

12.2. यद्यपि कुछ राज्य कमेटियों ने को–आर्डिनेशन कमेटियों का गठन किया है, तथापि सब काम नहीं कर रही है जबकि कुछ राज्य कमेटियों ने इस कार्य को ईमानदारी से नहीं लिया है। यह भह नोट किया जाना चाहिए, ऐसी यूनियनों में जहां काफी संख्या में कामगार महिलाएं कार्यरत हैं, महिला कामगारों की सब–कमेटी के गठन के बिना को–आर्डिनेशन कमेटी के पास समन्वय के लिए कोई गतिविधियां नहीं होंगी।

सामान्यता यह देखा गया है कि राज्य कमेटियां साधारण को–आर्डिनेशन कमेटियों की गतिविधियों का चैकअप नहीं करती हैं। कुछ राज्यों में जहां को–आर्डिनेशन कमेटी के सदस्य राज्य कमेटियों के पदाधिकारी हैं, वे अधिक से अधिक महिलाओं को यूनियन की गतिविधियों में शामिल करने और उन्हें यूनियनों में नेतृत्वकारी भूमिका में लाने के लिए विशेष रुचि नहीं लेते हैं।

12.3. यह भी देखा गया है कि कुछ यूनियनों में महिलाओं को वर्किंग कमेटी में तो ले लिया जाता है, परन्तु वे केवल मूक दर्शक की हैसियत से काम करती हैं और बहस में योगदान देने में असमर्थ हैं। केवल समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा ही इन कामगार महिलाओं की यूनियन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए शिक्षित किया जा सकता है। कामगार महिलाओं के बीच हमारी गतिविधियां औद्योगिक कामगारों की अपेक्षा क्लेरीकल कर्मचारियों तक ही ज्यादा सीमित रहती हैं। आंगनवाड़ी मजदूरों के बीच काम ही शायद इसका अकेला अपवाद है। हमें प्लांटेशन, बीड़ी निर्माण, गृह आधारित कामगारों जैसे निश्चित उद्योगों की पहचान करनी होगी ताकि हम विशेष पहलक दमी करके इन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण कर सकें। राज्य कमेटियों को ऐसे उद्योगों की पहचान करनी चाहिए ताकि वे कामगार महिलाओं के बीच हमारे काम में सुधार को विशेष प्राथमिकता दे सकें।

12.4. यद्यपि "वाइस ऑफ द वर्किंग वीमैन" के सर्क्युलेशन में कुछ सुधार हुआ है, तथापि हमें इसे कामगार महिलाओं के आंदोलन का वास्तविक प्रवक्ता बनाने के लिए इसके सर्क्युलेशन में और अधिक वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। इसकी गुणवत्ता में और अधिक सुधार होना चाहिए और राज्यों से गतिविधियों की अधिकाधिक सूचनाएं मिलनी चाहिए।

सीटू के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

13.1. पिछली वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद सीटू ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित किये और प्रतिनिधिमंडलों का बिरादराना आदान–प्रदान हुआ। नेटवर्क ऑर्गनाईजेशन ऑफ कमेटी फॉर वीमैन के एशियन वीमैन वर्कर्स सेण्टर (सी ए डब्ल्यू) के आमंत्रण पर तमिलनाडु की सीटू जनरल कौंसिल की सदस्य एम राजेश्वरी ने 25 अक्टूबर, 1997 को टोक्यो में सीटू की ओर से एक सिम्पोजयम को सम्बोधित किया। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं, ढांचागत समायोजन कार्यक्रम और सीटू की भूमिका के विषय में वक्तव्य दिया। सिम्पोजियम से पहले 16 अक्टॅबर से परस्पर विचार–विमर्श और जापान के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों तथा प्रतिष्ठानों के भ्रमण का दौर चला।

13.2. सीलोन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स के निमंत्रण पर सीटू सचिव का. ए. के. पद्मनाभन ने 29 नवंबर, 1997 को कोलंबो में 23वें डेलीगेट कान्फ्रेंस में भाग लिया। बिरादराना रिश्ते कायम करने की दृष्टि से उन्होंने इस अवसर का लाभ श्रीलंका के अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं से मिलने के लिए उठाया। श्रीलंका की ट्रेड यूनियनों के साथ इन रिश्तों को विकसित करने के लिए सीटू को और अधिक ध्यान देना चाहिए। इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, ग्रेट ब्रिटेन से सोहन सिंह संधु और अवतार सिंह जोहल का दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सीटू केन्द्र पहुंचा और आपसी हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। जापान का एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत में जापानी सह–उपक्रमों के मजदूरों के कामकाज तथा जीवनस्तर के हालात का अध्ययन करने के लिए आया और उसने सीटू नेतृत्व के साथ विचार–विमर्श किया। उन्होंने नयी दिल्ली और चेन्नई का भ्रमण किया और ट्रेड यूनियनों द्वारा सहयोग के विकास के तौर–तरीके ढूंढ़ने के उद्देश्य से जापानी सह–उपक्रमों के श्रमिकों से मुलाकात की। सीटू की ओर से इस प्रतिनिधिमंडल को सभी संभव यहायता प्रदान की गयी।

13.3. हिन्दुस्तान मोटर्स एम्पलाईज यूनियन, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष एवं सीटू कमेटी के सदस्य का. संतोशी चटर्जी ने 28 से

30 जनवरी, 1998 तक पेरिस में आयोजित ऑटोमोबाइल वर्कर्स की अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में सीटू का प्रतिनिधित्व किया। कांफ्रेंस का आयोजन सी. जी. टी. फ्रांस द्वारा किया गया था और वह विभिन्न देशों में ऑटोमोबाइल उद्योग के ट्रेड यूनियन आंदोलन के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने में सफल हुई। दमिश्क (सीरिया) में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की ट्रेड यूनियनों की एक अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित की गयी। वाटर, एयर और रेलवे ट्रांसपोर्ट को कवर करते हुए सीटू और सहयोगी संगठनों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। प्रतिनिधिमंडजल के कांफ्रेंस में सक्रिय भागीदारी की। का. एम. के. पंधे को कांफ्रेंस के अध्यक्षमंडल के लिए चुना गया। फार्वर्ड सीमैन्स यूनियन ऑफ इंडिया महासचिव सदन कांचीलाल को टी. यू. आई. की जनरल कौंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया। अखिल भारतीय प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन के का. विमल रणदिवे और अमल घोष दस्तीदार के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10 मार्च से 12 मार्च, 1998 तक ढाका में आयोजित बांगलादेश एग्रीकल्चरल फार्म लेर फेडरेशन की 5वीं राष्ट्रीय कांफ्रेंस में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश की ट्रेड यूनियनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और सेमिनार में भी भाग लिया।

13.4. भारत से तीन महिला ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अप्रैल से 3 मई, 1998 तक हवाना (क्यूबा) में महिला ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेगा। प्रतिनिधिमंडल में सीटू केन्द्र से रंजना निरूला और एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन से भारती सोम तथा वाणी शिखा आचार्य होंगी। सैन्टर ऑफ क्यूबन ट्रेड यूनियन्स (सी टी सी) ने भी वैश्वीकरण एवं नव-उदारीकरण के खिलाफ द्वितीय कांफ्रेंस के लिए तैयारी समिति की एक बैठक बुलायी है जो अप्रैल, 1999 में ब्राजील में साओ पालो में होगी। रंजना निरूला 28 अप्रैल को इस बैठक में भाग लेंगी। प्रतिनिधिमंडल हवाना में आयोजित होने वाली मई दिवस रैली में भी शामिल होगा जो का. फिदेल कास्त्रो द्वारा सम्बोधित की जायेगी। भारत से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 28 अप्रैल से 9 मई 1998 तक मनीला, फिलीपींस में क. एम. यू. द्वारा आयोजित इंटरनेशनल सोलीडेरिटी अफैयर, 1998 में भाग लेगा। सीटू राज्य कमेटी, तमिलनाडु के सदस्य का. एम. जी. श्रीरंगन, अखिल भारतीय इंश्योरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन के संयुक्त सचिव का. आर. गोविंदराजन और बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन आफ इंडिया के संयुक्त सचिव का. पी. एस. पिल्ले का प्रतिनिधिमंडल विश्व के विभिन्न हिस्सों से शामिल होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श तथा सेमीनारों की एक श्रृंखला में भाग लेगा।

13.5. 13 से 16 मई, 1998 तक पेरिस में "कम्युनिस्ट घोषणापत्र" की 150वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है और सीटू को कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का निमंत्रण मिला है। का. एम. के. पंधे और चित्तब्रत मजूदार को इस कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजन समिति में सम्मिलित किया गया है। इस मीटिंग में का. चित्तबत्र मजूमदार, के. रवीन्द्रनाथ, सुकोमल सेन, जीवन राय और जानकी बल्लभ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय भागीदारों द्वारा इस कांफ्रेंस के लिए कुछ पेपर्स भी दाखिल किये गये हैं। जीवन राय रोम भी जायेंगे और सी. जी. आई. एल. के नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श करेंगे। साइप्रस एग्रीकल्चरल पौल्ट्री ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, सीमेन्स एंड एलाइड अक्यूपेशन्स यूनियन आफ इंडिया के महासचिव का. साधन कांजीलाल ने दोनों संगठनों के बीच सहयोग एवं द्विपक्षीय रिश्ते विकसित करने के लिए 11 अप्रैल से साइप्रस का दौरा किया।

13.6. भूमंडलीकरण और नव-उदारीकरण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के विकास की दृष्टि से ये विकसित होते सम्बन्ध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के सर्वोपरि हित के लिए सीटू को अन्य देशों के ट्रेड यूनियनों के साथ बिरादराना रिश्ते मजबूत बनाने चाहिए।

13.7. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बहुत खर्चीली हो गयी है और काफी साधनों की जरूरत पड़ती है। तो भी जहां कहीं ट्रेड यूनियनों द्वारा फंड एकत्रित करने का अभियान चलाया जाता है, मजदूरों की प्रतिक्रिया शानदार होती है। सीटू यूनियनों द्वारा हमारे मजदूर वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता के विषय में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि हम बिरादाराना संगठनों के साएथ मित्रता के सम्बन्ध मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें। अन्य यूनियन खर्चों में मितव्ययता भी आवश्यक है ताकि हमें अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध हो सके। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भूमंडलीकरण के विरुद्ध मजदूर वर्ग के प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के बिना पूंजीवाण्दी चालों को विफल नहीं किया जा सकता है।

डटल्यू. एफ. टी. यू. के साथ हमारे रिश्ते

14.1. पिछले वर्ष सीटू कार्यालय में आगमन पर डब्ल्यू. एफ. टी. यू. के महासचिव अलेक्सांद्र जरीकोव ने उपलब्ध सचिवमंडल के सदस्यों के साथ सीटू की डब्ल्यू. एफ. टी. यू. से सम्बद्धता के प्रश्न र विचार विमर्श किया। सीटू के प्रतिनिधियों ने जारीकोव को सूचित किया कि सभी गतिविधियों में सीटू डब्ल्यू. एफ. टी. यू. के साथ सहयोग कर रही है और इसके मित्रतापूर्ण सम्बन्ध लगातार विकसित हो रहे हैं। उन्होंने विश्व के ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता की जरूरत को भी महसूस किया और यह व्याख्या की कि किस प्रकार सीटू डब्ल्यू. एफ. टी. यू. तथा आई. सी. टी. यू. से सम्बद्ध संगठनों को आइ. एम. एफ. और विश्व बैंक के निर्देशों के विरुद्ध

समान संघर्ष में साथ लाने के लिए अनी भूमिका निभा रही है। तत्पश्चात. वियतनाम कन्फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स के अध्यक्ष न्गुयेन वान तू ने, जो डब्ल्यू. एफ. टी. यू. के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, सीटू कार्यालय का दौरा किया और सीटू के एक प्रतिनिधिमंडल को उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के लिए आतंत्रित किया। तदनुसार, का. एम. के. पंधे, चंडी प्रसाद और निखिल मुखर्जी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 1 से 7 जनवरी, 1998 तक वियतनाम का दौरा किया, सीटू ने डब्ल्यू. एफ. टी. यू. के साथ अपने रिश्ते पर भी अपनी राय अभिव्यक्त की।

14.2. सारे विश्व में डब्ल्यू. एफ. टी. यू. का कमजोर होना सीटू के लिए चिन्ता का विषय है। लगभग सभी क्षेत्रों में डब्ल्यू. एफ. टी. यू. की गतिविधियों में तेजी से गिरावट आयी है जबकि बहुत-सी ट्रेड यूनियनें नियमित आधार पर काम नहीं कर रही हैं। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्था के विघटन के पश्चात. आर्थिक संसाधन समास हो जोन के कारण डब्ल्यू. एफ. टी. यू. को बड़ी मात्रा में अपने स्टाफ और गतिविधियों में कटौती करनी पड़ी और अभी तक भी वह अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए भी फंड जुटाने में असमर्थ है, डब्ल्यू. एफ. टी. यू. का एशियाई कार्यालय व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय हैं और वह अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सम्बद्ध एवं मित्र संगठनों को शामिल नहीं करना है।

14.3. सीटू ने डब्ल्यू. एफ. टी. यू. के अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि वह एशियाई क्षेत्र मे मजदूर वर्ग के आन्दोलन को मजबूत करने के लिए उसे हर संभव सहयीग देगा।

14.4. क्षेत्र में सीटू के मजबूत होते हुए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के साथ इस मुद्दे की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। सचिवमंडल की पूर्ण बैठक ने इन घटना विकासों पर विचार किया और इस मामले में सीटू के सामान्य दृष्टिकोण को स्वीकृति प्रदान की। हम इसे जनरल कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि सदस्यगण इन मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें।

प्रमाणीकरण का मसला

15.1 कार्य समिति की शिमला बैठक के पहले राज्य समितियों को यह सूचित कर दिया गया था कि केंद्रीय श्रमिक संगठन संघें की सदस्यता का प्रमाणीकरण 1996 की सदस्यता के आधार पर शुरू की जा सकती है। अत: यह आवश्यक था कि सभी संगठन वर्ष 1996 का वार्षिक रिटर्न बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत करें। प्रत्येक राज्य समिति से आग्रह किया गया था कि एक विशेष कामरेड को रिकार्ड संबंधी रिटर्न प्रस्तुतिकरण व शुल्क संगहन आदि की जिम्मेदारी देते हुए नियुक्त करें तथा यह देखें कि काम सुचारू रूप से किया गया।

15.2 कार्य समि.. की शिमला बैठक ने इस मुद्दे पर पुन: जोर देकर विचार विमर्श किया। तत्कालिक कार्य के संबंध में विचार विमर्श के लिए शिमला में राज्य समिति के प्रमाणीकरण प्रभार वाले प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। कार्य समिति की बैठक के बाद, सचिवमंडल ने यह निर्णय लिया कि सभी राज्य समितियों द्वारा वर्ष 1996 के रिटर्न प्रस्तुतीकरण का कार्य दिनांक 15 जनवरी 1998 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया जो रिपोर्ट के साथ संलग्न तालिका से बिल्कुल स्पष्ट है।

15.3 पहले मैंने आपको बताया था कि इंटक द्वारा दायर 1989 में प्रमाणीकरण परिणाम को निरस्त करने संबंधी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारे स्थिति को बरकरार रखा है तथा कहा है कि प्रमाणीकरण परिणाम को समाप्त करने की बजाय यह तर्क संगत होगा कि नये प्रमाणीकरण शुरू किए जायें क्योंकि दो प्रमाणीकरण सा होना पहले से ही देय है। सभी संबंधित पार्टियों को सुनने के बाद न्यायालय ने इंटक के सलाहाकार को निर्देश दिया कि नये प्रमाणीकरण के लिए एक प्रारूप योजना तैयार करें। सीटू के निवेदन का, कि कुछ आवश्यक सुधार के बाद वर्तमान तरीका बिल्कुल सही है तथा श्रमिक संघ आपस में विचार विमर्श कर एक विशेष वैज्ञानिक व तीव्र तरीका विकसित कर सकते हैं, न्यायालय ने समर्थन किया तथा इंटक के प्रारूप योजना को नकार दिया जिसमें कहा गया था कि समिति का अध्यक्ष कोई अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होना चाहिए।

15.4 इसी बीच न्यायालय के निर्देशानुसार श्रम मंत्री ने 6 अप्रैल 98 को केंद्रीय श्रमिक संगठनों का बैठक बुलाया जिसमें सदस्यता की अगली प्रमाणीकरण को सी एल सी के कार्यालय द्वारा कराये जाने की संभावना पर विचार किया गया। इस संबंध में गणना वर्ष व प्रक्रिया में परिवर्तन संबंधी सुझाव दिये गये। उभरकर आया सुझाव इसे दर्शाना है कि अगला प्रमाणीकरण वर्ष 1996 की सदस्यता के आधार पर होगा। अत: हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए तथा प्रमाणीकरण के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सभी तभी लाभदायक होंगे जब हम केंद्र को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न के आधार पर अपना सम्पूर्ण दावा पेश करें। मैं आप लोगों को पुन: सलाह दूंगा कि इसके लिए जोर-शोर से कार्य करें तथा शिमला बैठक में सुझाये गये त्रुटियों को अपने रिकार्ड से समाप्त करें।

बी टी आर मेमोरियल ट्रस्ट

16.1 शिमला कार्य समिति बैठक में हमने सूचित किया या कि निर्माण योजना का अनुमोदन किया जाना है तब उसके तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा। इसलिए धन एकत्र करने के

लिए आह्वान किया गया ताकि धन की कमी के कारण निर्माण कार्य न रुके। का. बी टी आर के 93वें जन्म दिवस के अवसर पर 19 दिसम्बर 1997 को एक उत्सव के दौरान सीटू के अध्यक्ष का. ई बालाचंद्रन द्वारा मकान के निर्माण का शिलान्यास किया गया। कार्य जोर शोर से शुरू किया गया तथा वर्ष के अन्त तक कार्य के पूरा होने की आशा है। इसी दौरान जैसे जैसे कार्य की प्रगति होगी एक कारनामा के अनुसार हमें भुगतान करना होगा। संविदा जमीन के खरीद सहित हम लोगों ने अभी तक 43 लाख रुपया खर्च किया है। अत: जो कुछ भी धन हम लोगों ने अभी तक एकत्र किया है वह सिविल कार्य के लिए किए जाने वाले कुल भुगतान के लिए भी अपर्याप्त होगा। आने वाली जटिल परिस्थिति की कल्पना कर मैं धन एकत्र करने के लिए अन्तिम आह्वान कर रहा हूं। एक सप्ताह या अर्धमास को विशेष रूप से धन एक करने के लिए निश्चित करें तथा अपना हिस्सा पूरा कर बी टी आर मेमोरियल फंड में रुपया तत्काल जमा करायें। रिपोर्ट के साथ संलगन बी टी आर फंड का नवीनतम डाटा देखें।

संगठित संघर्ष के लिए आगे बढ़ें

17.1 भारत का श्रमिक संघ आंदोलन एक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस दौरान जो भूमिका यह अदा करेगी वही भारत में श्रमिक संघ आंदोलन के भविष्य को निर्धारित करेगी। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम श्रमिक आंदोलन को हाशिये पर रखना चाहती है। क्या श्रमिक आंदोलन इसकी अनुमति देगी या विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व के लिए विश्व बैंक व विश्व मुद्राकोष के प्रयासों के विरुद्ध लड़ेगी यह आज की चुनौती है।

17.2 आगामी संघर्ष में देश की केंद्रीय श्रमिक संगठन के रूप में सिद्ध को एक विशिष्ट भूमिका अदा करना है। एक मजबूत सीटू संगठन बनाये बिना हम वो भूमिका अदा करने में समय नहीं होंगे जो हमें करना है।

17.3 बी जे पी सरकार उदारीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है जो मजदूर वर्ग पर और आक्रमण करेगी। मजदूर वर्ग के एक वर्ग को इस सरकार से संबंध में जो भी भ्रम है वह जल्द ही टूटेगी तथा भविष्य में एक बड़े संघर्ष की संभावना निश्चित है।

17.4 हमें मजदूरों के अग्रशित होने की प्रतिक्षा नहीं करना चाहिए। हमें भ्रम दूर करने की कार्यवाही को तीव्र करने हेतु व्यस्थित प्रयास करना है। मजदूर इस बात को महसूस करने में समय नहीं लेंगे की बी जे पी सरकार विश्व बैंक व विश्व मुद्रा कोष के शर्तों का अनुसरण कर रही है।

17.5 अत: इस बैठक से हमें मजदूर वर्ग को सामान्य मसलों पर अधिक से अधिक संख्या में लामबंद करने हेतु एक ठोस कार्य योजना लेकर वापस जाना चाहिए। प्रमुख मुद्दों पर हमने पहले ही विचार-विमर्श किया है तथा सदस्यों के सुझावों को सुनने के बाद सीटू सचिव मंडल कार्य की दिशा को अंतिम रूप देने में समर्थ होगी।

17.6 हमें यह भी देखना है कि नेशनल प्लेटफार्म ऑफ मास आर्गेनाइजेशन सभी जन संगठनों को उनके ज्वलंस समस्याओं पैर गतिमान करें। पी एम ओ की एक बैठक 12 अपील को सकारात्मक रूप में सम्पन्न हुई जिसमें सभी ने राष्ट्रीय स्तर के कायक्रम की मांग की ताकि कठोर परिश्रम करने वाले सभी वर्ग के लोग संयुक्त रूप से आगे बढ़े। किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने सभी जन संगठनों के सहयोग से भूमि वितरण के लिए सशक्त राष्ट्रीय संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी जन संगठनों का जवाब सकारात्मक था। उचित समय पर एन पी एम ओ के अखिल भारतीय सम्मेलन के आयोजन के प्रस्ताव पर सूची का अच्छा समर्थन है ताकि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जोरदार आह्वान किया जा सके।

17.7 कामकाजी लोगों के बीच विश्व बैंक व विश्व मुद्राकोष द्वारा निर्देशित आर्थिक नीतियों व जानीयता के खतरनाक परिणामों के संबंध में प्रभावी वैचारिक प्रचार के बिना हम मजदूर वर्ग को बड़े संघर्ष के लिए खड़ा नहीं कर सकते। सीटू संगठन को सही उत्साह के साथ इस कार्य को अपने हाथ में लेना होगा ताकि हम जन समुदाय को देश के सामने उपस्थित दोनों खतरों के विरुद्ध प्रभावी रूप से लम्बे संघर्ष के लिए तैयार कर सकें।

17.8 हम उच्च स्तर पर संगठित आंदोलन का विकास करते आ रहे हैं लेकिन निचले स्तर पर एकता के पहलुओं पर उचित जवाब नहीं मिल रहा है। अत: हमें अपने क्रिया कलापों में निचले स्तर पर एकता के लिए विशेष जोर देना चाहिए जो संगठित आंदोलन को नई दिशा प्रदान करेगा। चूंकि मजदूर वर्ग के बीच एकता के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना है अत: हमें मजदूर वर्ग की एकता को पुष्ट करने व व्यापक कार्य के लिए इस भावना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए।

17.9 सम्पूर्ण विश्व में मजदूर वर्ग आंदोलन में नया जोश आया है तथा सभी महादेशों में संघर्ष उभरकर आ रहा है। हमे यह देखना है कि आज के युग में इन संगठित संघर्ष में भारत एक शानदार सहभागी के रूप में कायम रहे।

18.1 यह जनरल कांउसिल नाजुक समय में मिल रही है तथा हमें अपना तात्कालिक कर्तव्य सावधानी पूर्वक परिभाषित करना है ताकि हम निकट भविष्य में विकास के स्वरूप को मजदूरवर्ग व साधारण जनता के पक्ष में कर सकें।

18.2 हमें परिस्थिति को सावधानीपूर्वक परखना चाहिए तथा घटनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें आंदोलन के ऐसे कार्यक्रम को तैयार करना चाहिए जो लाखों परिश्रमी पुरुष व महिलाओं को पूंजीवादी व भूपति वर्ग के चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करें।

18.3 मैं आश्वस्त हूं कि यह आम सभा देश के मजदूर आंदोलन को सही दिशा-निर्देश देने में सफल होगा जिससे कार्य व रहन-सहन की स्थिति पर सभी आक्रमण प्रभावी रूप से नाकाम होगा तथा देश जातीय व विभाजक ताकतों से मुक्त हो सकेगा।